संघर्ष संवाद

दिसम्बर 2012 नई दिल्ली

2012 का साल जुझारू संघर्षों और आन्दोलनों का साल रहा. न सिर्फ पोस्को, कूडनकुलम, नगड़ी, मुलताई, नर्मदा, ..., जैसी जगहों और जिंदल, मारुती जैसी कंपनियों में किसान और मजदूर अपने हितों के लिए खड़े हुए, बल्कि नवउदारवादी आर्थिक नीतियों ने मध्यवर्ग के एक बड़े हिस्से को भी अपनी चपेट में लिया जिसकी परिणति बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रूप में दिखा. साल का अंत आते आते दिल्ली की सड़क पर हुई गैंगरेप की घटना ने लोगों की चेतना को हिला कर रख दिया है और बड़ी संख्या में आम लोग और औरतें समाज में लैंगिक भेदभाव और हिंसा के खिलाफ सडकों पर उतर आए हैं.

इन सारी जन-आकांक्षाओं के बरक्स शासक वर्ग का चेहरा भी सामने आया. जनांदोलनों पर बर्बर दमन, आन्दोलनों को बदनाम और गुमराह करना और जनता के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से भिड़ाना नई चालें नहीं हैं, लेकिन इनका और शातिर रूप इस साल सामने आया. नगड़ी आंदोलन की अगुआ दयामनी बारला को जमानत मिलना हम सबके लिए अच्छी खबर है, लेकिन मुलताई में डॉ. सुनीलम अभी तक बंद हैं, कूडनकुलम में हज़ारों लोगों पर संगीन मुकदमे चल रहे हैं, मारुती के मजदूर या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर सत्ता के चंगुल से भाग रहे हैं. इस साल यह रुझान भी देखने को मिला कि आंदोलनरत लोगों को राजनीतिक मुकदमों की बजाय अन्य किस्म के फर्जी आपराधिक मामलों में फंसाया और प्रताडित किया जाना शुरू हुआ है. प्रत्यक्ष पुलिस राज और इमरजेंसी के बदले एक खामोश आपातकाल लोगों पर जारी है, जिसमें किसी भी किस्म की आलोचना अपराध बन जाती है.

लेकिन हम जानते हैं कि इस हिंसा और दमन के पीछे असल में ज़मीनी आन्दोलनों और जनता के संगठित होने का डर छुपा हुआ है. आने वाला साल ऐसे ही नए संघर्षों का गवाह बनें, आन्दोलनों के हमारे साथी सत्ता और समाज की चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है.

इस साल से संघर्ष संवाद का वेब-संस्करण शुरू हुआ है जिसे लोगों का उत्साहजनक समर्थन मिला है. हम अपनी इस मुहीम को आपके सुझावों और समर्थन से आगे बढ़ाएंगे और आपके संघर्षों के साझीदार रहेंगे.

नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित...

उत्तर प्रदेश

- मुसहरों को नसीहत नहीं, अधिकार चाहिए
- गोरखपुर: किसानों का एलान, जान देगें- जमीन नहीं

छत्तीसगढ़

- धरमजयगढ का संघर्ष आख़िरी दौर में
- कोयला सत्याग्रह : ज़मीन हमारी तो कोयला भी हमारा
- छत्तीसगढ़ को लूटने का राज्योत्सव

झारखण्ड

- आखरी सांस तक लड़ती रहूंगी : जेल से दयामनी बारला का इंटरव्यू
- झारखण्ड के 12 साल: क्या खोया, क्या पाया
- अन्याय की बुनियाद पर न्याय मांगते झारखण्ड के आदिवासी

तमिलनाडु

- कूडनकुलम भविष्य की भोपाल त्रासदी हो सकता है : नॉम चौम्स्की
- कूडनकुलम आंदोलन निर्णायक दौर में

मध्यप्रदेश

- डॉ सुनीलम की रिहाई के लिए भोपाल में दस्तक
- कटनी: बर्बर दमन व छल के बीच जारी है प्रतिरोध
- मप्र में किसानों पर हुआ था एके- 47का इस्तेमाल!
- मुलताई गोलीकाण्ड
- बन्दूक की नोक पर विकास नहीं होगा....
- डॉक्टर सुनीलम की सजा और दयामनी बारला की गिरफ्तारी पर संयुक्त वक्तव्य

राजस्थान

- परमाणु सुरक्षा के मसले पर लीपापोती बंद करे सरकार
- अवैध खनन विरोधी आंदोलन: बर्बर दमन के बीच जारी है
- राजस्थान में भूमि अधिग्रहण के विरोध में पहुंचे पूर्व-सेनाध्यक्ष वी.के.सिंह

हिमाचल प्रदेश

- रेणुका बांध विरोधी अन्दोलन

ओडिशा

- नियमगिरी में कारपोरेट और राज्य सत्ता को कड़ी टक्कर देते आदिवासी

उत्तर प्रदेश

मुसहरों को नसीहत नहीं, अधिकार चाहिए

ज़्यादातर वक्ताओं ने मुसहरों को जी भर कर भाषण पिलाया। प्रवचन दिया कि उनकी दयनीय हालत के लिए अशिक्षा सबसे अधिक ज़िम्मेदार है, बेहतरी के लिए उन्हें शिक्षा से जुड़ना चाहिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और उनकी पढ़ाई-लिखाई का पूरा ख़याल रखना चाहिए, उन्हें साफ़-सफ़ाई के साथ रहने का सलीक़ा सीखना चाहिए, अंधविश्वासों, ओझा-सोखा और नीम हक़ीमों से बचना चाहिए, नशाखोरी के लिए उन्हें लताड़ लगाते हुए सीख दी गयी कि अगर वे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन्हें बीड़ी-शराब से भी तौबा करनी चाहिए। किसी भाषणबाज ने तो बाक़ायदा हिसाब भी पेश कर दिया कि यह बुरी लत रोज़ाना उनकी कितनी कमाई हज़म कर जाती है, कि यह हिसाब माहवारी और इस तरह सालाना कितना बैठता है। इस फ़िज़ूलख़र्ची पर वे अगर लगाम लगायें तो कितनी बड़ी बचत कर सकते हैं। बताया गया कि उनमें बड़ी कमी यह भी है कि उन्हें ग़रीबों के भले के लिए चल रहे सरकारी कार्यक्रमों की ख़बर नहीं रहती। वे ख़ुद को बदलना नहीं चाहते, जानकार और समझदार नहीं होना चाहते। कुल सार यह कि मुसहरों में बस खोट ही खोट है और इसीलिए उनकी हालत इतनी ख़स्ताहाल है।

यह गुज़री 2 दिसंबर को बनारस के बरही नवादा गांव में आयोजित मुसहर-दलित-वंचित सम्मेलन का सीन था- तयशुदा कार्यक्रम और उसके मक़सद से एकदम उलट। सम्मेलन के आयोजन के पीछे मक़सद था कि मुसहरों के साथ दूसरे अति वंचित समुदाय जुड़ें। अपने दुख-दर्द साझा करें और बेहतरी के लिए उठाये जानेवाले ज़रूरी क़दमों पर फ़ैसला लें। इस तरह यथास्थिति के टूटने की शुरूआत हो।

सम्मेलन की तैयारी बैठक में आम राय बनी थी कि

...और छलक पड़े आंसू

साझा संघर्ष की ज़रूरत इसलिए है कि तमाम वंचित समुदाय अलग-थलग रह कर बेहतरी की कोई लंबी और मज़बूत लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज के हालात में मुसहर जैसे समुदायों का तो अपने बूते उठ खड़ा हो पाना ही लगभग नामुकिन सा है। नट-कंजड़ जैसे अति दलित समुदायों का भी कमोबेश यही हाल है। लेकिन हां, विभिन्न वंचित समुदाय मिल कर इतनी बड़ी ताक़त ज़रूर हो सकते हैं कि जिसे अनसुना करना या दबाना आसान न हो। उनका एकजुट दबाव ही उनकी बदहाल दुनिया को बदल सकता है।

जैसा कि तय हुआ था- सम्मेलन वंचितों के सम्मान, पहचान और गरिमा के साथ उनके जीने के अधिकार पर फ़ोकस होना था। यह नज़रिया साफ़ था कि मुसहर अति दलित, अति वंचित समुदाय हैं। बेहद ग़रीब समुदायों में भी वे अति ग़रीब हैं। पुलिसिया और सामंती जुलुम की सबसे ज़्यादा और सबसे तीखी मार भी वही झेलते हैं। इसलिए सम्मेलन ने पहला ज़ोर मुसहरों पर दिया,

इसे मुसहर-दलित-वंचित सम्मेलन नाम दिया।

इसे स्थानीय आयोजकों की नासमझी कहिये, या कि स्थानीय समीकरणों से निकल न पाने की उनकी मजबूरी या संसदीय राजनीति के तौर-तरीक़ों का बेतरह असर कि सम्मेलन अपने तयशुदा मक़सद से फ़िसलता गया। जिन्हें अपनी आपबीती सुनानी थी, दिल का गुबार निकालना था और बेहतरी के लिए कोई रास्ता सुझाना था। वे सुननेवालों उर्फ़ ताली पीटनेवालों में तब्दील हो गये। सम्मेलन अति वंचितों की पाठशाला होता गया और मंच पर बैठे ज़्यादातर लोग उनके मास्टर बन बैठे, मसीहाई और नेताई अंदाज़ में आ गये। वंचित समुदायों के ज़िंदा रहने के हक़ का और इसके लिए उनकी अगुवाई का सवाल पीछे छूटने लगा।

कहना होगा कि आयोजन के प्रमुख सहयोगी बिहान ने इस सीन में दख़ल दिया और सम्मेलन को पटरी पर लाने का बड़ा काम किया। बताते चलें कि बिहान अधिकार आधारित नज़रिये के साथ सक्रिय सामाजिक संस्थाओं, जन संगठनों, समूहों और व्यक्तियों का साझा मंच है और जो उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में अति वंचित समुदायों के बीच जीने का अधिकार अभियान नाम से दस्तक दे रहा है। सजे-धजे मंच पर कोई ढाई दर्ज़न लोग विराजमान थे जबकि मंच पर अधिकतम 12 लोगों को बैठना था जिसमें कम से कम पांच महिलाओं को होना था। जो तय हुआ, वह हवा हो गया। मंच पर जमा भरी भीड़ में कुल चार महिलाओं को जगह मिली और चारों को बोलने के लिए नहीं बुलाया गया। इनमें दो मुसहर महिलाएं थीं। तय हुआ था कि मंच पर कम से कम एक तिहाई मुसहर ज़रूर होंगे लेकिन मंच पर उनकी तादाद पांचवें हिस्से से भी कम हो गयी।

लेकिन ख़ैर, मंचासीन महानुभावों को नीचे नहीं उतारा जा सकता था। श्रोता बन कर बैठी तीन महिलाओं को किसी तरह बोलने के लिए राजी किया गया। तीनों अकेले बोलने में हिचकिचा रही थीं। कहा गया कि तीनों एक साथ मंच पर पहुंचें और जो जी में आये, बेधड़क और बेख़ौफ़ बोलें। लेकिन यह तरीका भी कोई बहुत कारगर साबित नहीं हआ। मंच पर पहुंच कर उनके सुर ढीले पड़ गये और ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। यह अस्वाभाविक भी नहीं था। मंच पर पहुंच कर तो अक़्सर ठीकठाक लोग भी हड़बड़ा जाते हैं और अपनी बात शिद्दत से नहीं रख पाते। तीनों महिलाओं के लिए तो ख़ैर मंच पर खड़े हो कर बोलने का यह पहला मौक़ा था। उनके कान गर्म हो गये और गला सूखने लगा। उनकी बात आधी-अधूरी और अस्पष्ट रह गयी।

ऐसे में बिहान के एक वरिष्ठ साथी ने कार्डलेस माइक संभाला और वे सीधे महिला श्रोताओं के बीच पहुंच गये। कहा कि ठीक है कि मुसहरों और दूसरे वंचित समुदायों का शिक्षा से नाता जुड़ना चाहिए लेकिन जहां दो जून पेट भरने का सवाल सबसे बड़ा हो, वहां शिक्षा की अलख जलने की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है? पहला सवाल बीड़ी-शराब की लत का नहीं, इंसान और देश के नागरिक की तरह जीने की बुनियादी ज़रूरतों और सहूलियतों की ग़ैर मौजूदगी का है। सवाल यह है कि आज़ादी के इतने बरस गुज़र जाने के बावजूद मुसहर और दूसरे वंचित ग़ैर इंसानी हालात में जीने को मजबूर क्यों है? दूसरे दर्ज़े के नागरिक की हैसियत में क्यों हैं? लगभग एक जैसे हालात होने के बावजूद उनके बीच इतनी दूरियां क्यों हैं, इसे किसने पैदा किया है और क्यों? इसे जाने बग़ैर पाटा नहीं जा सकता।

इसी कड़ी में अपील हुई कि अब जो बोलना चाहती हैं, खड़ी हों। जहां बैठी हैं, वहीं से अपनी बात कहें। उन्हीं के लिए यह सम्मेलन है। आज अगर वे ख़ामोश रहीं तो और अंधेरा छायेगा, हालात सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगडेंगे। उनका भला करने कोई मसीहा नहीं आयेगा। सबसे बड़ा मसीहा दुख, अभाव और ज़िल्लत झेल रहे लोग ख़ुद हैं। उनकी

एकता और लड़ाकूपन ही जादू की असली छड़ी है जो उनकी बदक़िस्मती को अंगूठा दिखा सकती है, उन्हें शोषण-उत्पीड़न से मुक्ति दिला सकती है, उन्हें इंसानी हैसियत में पहुंचा सकती है।

इस अपील का तगड़ा असर पड़ा। देखते-देखते माइक पकड़ने के लिए उतावली महिलाओं की लाइन लग गयी। सम्मेलन का समां ही बदल गया और मंच बेरौनक़ हो गया। महिलाओं का दुख और ग़ुस्सा फूट पड़ा- कि उनके पास ज़मीन नहीं, रोजगार नहीं, जाब कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, इंदिरा आवास नहीं, आंगनवाड़ी जैसी सुविधा नहीं, स्कूलों में उनके बच्चों के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं...। कि उन्हें पुलिस भी सताती है और बड़े लोग भी। कि उन्हें नीच, गिरा हुआ और चोर समझा जाता है। कि उनके लोगों पर फ़र्ज़ी मामले ठोंक दिये जाते हैं, हवालात और जेल पहुंचा दिया जाता है। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, उनके मामले की पैरवी के लिए कोई आगे नहीं आता और उनके लोग झूठे मुक़दमों में फंस जाते हैं, जेल में सड़ जाते हैं। चुनाव के दौरान भी कोई उम्मीदवार उनकी बस्ती का रूख़ नहीं करता। एक महिला ने तो मंच पर बैठी पड़ोस की महिला ग्राम प्रधान पर ही निशाना साध दिया कि उन्हें केवल अपनी बिरादरी के लोगों के ही भले की चिंता रहती है। गोद में बच्चा संभाले अपना दर्द बयां करते हुए एक महिला के तो आंसू बह निकले।

सम्मेलन का समय पूरा होने का था। तो भी अपनी बारी के आने का इंतज़ार कर रही महिलाओं की लाइन बरक़रार थी। बहरहाल, यह सिलसिला रो पड़ी उस महिला के अपनी बात ख़त्म करते के साथ ही रोक दिया गया। यह कहते हुए कि यहां तो हरेक के पास दर्दभरी कहानियां हैं, घुप्प अंधेरा है, पीढ़ी-दर-पीढ़ी बहते आंसू हैं। सवाल है कि इन आंसुओं को कैसे ग़ुस्से में बदला जाये, बदलाव का रास्ता किस तरह खोला जाये, अंधियारे से कैसे निपटा जाये? नारा लगा कि जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। इसी के साथ मंच से राष्ट्रपति को भेजे जानेवाले मांगपत्र का पाठ हुआ और साझा संघर्ष के संकल्प के साथ सम्मेलन का समापन हो गया।

सम्मेलन के आख़िरी दौर ने आयोजन के ज़िम्मेदारों की आंख खोल देने की भूमिका अदा की। पहले यह रोना रोया गया था कि देखिए, तमाम मनुहार के बावजूद महिलाएं मंच पर पहुंचने से हिचकिचा रही हैं। इस दृश्य परिवर्तन के बाद सबने माना कि इसके पीछे मंच का बेहद औपचारिक और अनजाना सा माहौल था जिसने उनकी हिम्मत को रोके रखा और सम्मेलन के असली साझेदारों की ज़ुबान पर ताला जड़ दिया।

यह सीख थी कि सदियों से वंचना और उत्पीड़न झेल रहे समुदाय और ख़ास कर महिलाएं अनौपचारिक माहौल में ही ख़ुल सकती हैं। सबने माना कि आयोजन की यह सबसे बड़ी खोट थी कि मंच और श्रोताओं के बीच दूरी बन गयी। सम्मेलन के फ़ौरन बाद ज़िम्मेदार साथियों ने तीन दिन बैठने का फ़ैसला किया ताकि इस नयी पहलक़दमी को ठोस ज़मीन दिये जाने की समझ और उसकी कारगर रणनीति विकसित की जा सके। इस मायने में ज़रूर इस सम्मेलन ने अगले दख़ल का दरवाज़ा खोलने का काम किया। सम्मेलन के आयोजन पर हुए समय, ऊर्जा और धन के ख़र्च की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी।

मुसहर-दलित-वंचित सम्मेलन का आयोजन स्थानीय स्तर पर सक्रिय तीन जन संगठनों की साझा पहल पर हुआ था- मेहनतकश मोर्चा, आदिवासी वनवासी कल्याण समिति और मानवाधिकार जन चिंतन समिति। आयोजन के सहयोगी की भूमिका में थे- बिहान, लोक हक़दारी मोर्चा और कासा। □

-आदियोग

गोरखपुर: किसानों का एलान, जान देगें- जमीन नहीं

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में 18 अक्टूबर 2012 को दर्जनों गांवों के हजारों किसान 'किसान बचाओ आंदोलन' के बैनर तले सड़क पर उतरे। किसानों ने नौसढ़ चौराहे से गीडा कार्यालय तक पैदल मार्च किया और गीडा कार्यालय पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। प्रबल प्रताप शाही कि रिपोर्ट;

प्रात: 8 बजे से ही नौसढ़ चौराहे पर गांव-गांव से किसानों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया था। 10.30 बजे तक हजारों की संख्या में जुटे किसानों ने किसान बचाओ पदयात्रा शुरू की। किसान 'नारा लगाते हुए राजघाट, ट्रांसपोर्ट नगर, प्रेमचंद पार्क, रीड साहब की धर्मशाला, शास्त्री चौक, अंबेडकर चौक होते हुए गीडा कार्यालय पहुंचे। गीडा कार्यालय पर किसानों ने मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर सभा शुरू कर दी। इस दौरान तीन घंटे तक एसडीएम सदर व गीडा के अधिकारी, कर्मचारी कार्यालय में कैद रहे। किसानों ने मांग की, कि किसान हित में विगत दिनों जिलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्री विभाग को जारी किये गये आदेश (गीडा क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री के पूर्व बांड भराया जाए) को निरस्त किया जाए तथा गीडा क्षेत्र के नोटिफायड एरिया को अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। किसानों ने जिला प्रशासन को 15 दिन का समय दिया और मांग पूरी न होने पर आर-पार की लड़ाई छेड़ने की चेतावनी दी। जिला प्रशासन की तरफ से उपजिलाधिकारी सदर ने मौके पर पहुंचकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन लेते हुए कहा कि मांगें न्योचित हैं। किसानों के साथ इंसाफ होगा।

ज्ञात रहे कि विकास के झूठे सपने दिखाकर गोरखपुर सदर व सहजनवां तहसील के 76 गांवों के लाखों किसानों की पचासों हजार एकड़ सोना उगलने वाली जमीन गीडा द्वारा अधिग्रहित कर ली गयी। विकास के नाम पर बड़ी कंपनियों की स्थापना का हौवा खड़ा कर किसानों की जमीन हड़प कर उन्हें भूमिहीन बना देने वाली सरकार आज तक गीडा में कोई बड़ी कंपनी स्थापित नहीं कर सकी। यहां स्थापित अधिसंख्य अतिलघु व कुटीर उद्योग क्षेत्रीय विकास और नौजवानों को रोजगार देने में विफल साबित हुए। विकास के नाम पर यहां स्कूल, कालेज, आवासीय क्षेत्र और दुकानें विकसित की जा रही हैं, जहां बेरोजगार नौजवान 2000-3000 रुपये महीने पर बारह-बारह घंटे खटने को विवश हैं। गीडा के 21 वर्षो के विकास का यही नंगा सच है कि यहां के हजारों किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। कुल 22 सेक्टरों वाली इस योजना में अब तक मात्र 7 सेक्टर ही विकसित हो पाये हैं, जिनमें मात्र दो सेक्टर ही औद्योगिक हैं। इन्हीं उपलब्धियों के दम पर प्रशासन गीडा क्षेत्र के हजारों किसानों के खेत व उनके सपने और उनके भविष्य की एक बार फिर बलि लेने जा रहा है। गीडा क्षेत्र के अधिसंख्य गांवों के ग्राम समाज ने भी प्रस्ताव पारित कर गीडा को भूमि देने से इनकार कर दिया है।

सभा को किसान बचाओ आंदोलन के संयोजक मंडल के सदस्य रामानंद पगड़ी बाबा, प्रबल प्रताप शाही, धनंजय, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भिलोरा रतीन्द्र रंजन पांडेय, ग्राम प्रधान पेवनपुर ब्रह्मदेव निषाद, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि छपिया काली प्रसाद सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एकला राममिलन, ग्राम प्रधान गुरौली बलराम, ग्राम प्रधान हरैया मिथिलेश, पूर्व प्रधान सरया हीरालाल, संतोष मणि त्रिपाठी, श्यामकिशुन, विरेन्द्र यादव, अखिलेश तिवारी, आलोक शुक्ला, हीरालाल गुप्ता, गणेश् दत्त पाण्डेय, तुफैल अहमद व रामलाल आदि ने संबोधित किया। □

छत्तीसगढ़

धरमजयगढ का संघर्ष आख़िरी दौर में

धरमजयगढ़ में भास्कर समूह की कंपनी डीबी पावर लिमिटेड के प्रस्तावित कोयला खनन के ख़िलाफ़ 15 दिसंबर को रैली की शक़्ल में बड़ी जन कार्रवाई हुई। यह रैली 40 गांवों से होकर गुज़री- कंपनी विरोधी लहर को ताज़ा और तेज़ करने का काम करेगी। कोयला मंत्रालय ने दोटूक फैसला सुना दिया है कि अगले साल 31 अप्रैल तक अगर कोयले के खनन का काम नहीं शुरू हो सका तो इसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा। इस फ़ैसले ने खनन विरोधी किसानों के बीच नयी आस जगायी है। लाखन सिंह की रिपोर्ट;

याद रहे कि अभी 1 दिसंबर को ही अजय संचेती (भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के कारोबारी सहयोगी और राज्यसभा सांसद) को मिली कोयला खनन की लीज़ रद्द हो चुकी है। इस आधार पर कि तयशुदा अवधि में उनकी कंपनी खनन नहीं शुरू कर सकी थी। ज़ाहिर है इसलिए कि कंपनी की राह में प्रभावित होनेवाले किसान डट कर खड़े थे, रोड़ा बने हुए थे। उनकी संघर्षशीलता के सामने कंपनी को मुंह की खानी पड़ी।

किसी एक जगह मिली जीत दूसरी जगहों की संघर्षरत जनता को उत्प्रेरित करने का भी काम करती है। धरमजयगढ़ तक भी इस जीत की धमक पहुंची। नये सिरे से और नये जोश के साथ लड़ाई जारी रखने के लिए लोगों ने कमर कसी। तय किया कि जो भी ज़मीन का सौदा करने के लिए गांव पहुंचेगा, उसे खदेड़ दिया जायेगा। उन्हें पता है कि लीज़ बचाने के लिए कंपनी तरह-तरह के हथकंडे आज़मायेगी। उससे निपटने की सुगबुगाहट परवान पर है। वैसे, इसके पहले किसी कंपनी के लोगों का मुंह काला करके गांव से भगाये जाने की भी घटना हो चुकी है।

यह लड़ाकू तेवर भूमि बचाओ संघर्ष समिति समिति और छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन के कार्यकर्ताओं के साझा हस्तक्षेपों का नतीज़ा है।

धरमजयगढ के इलाक़े में 10 कोल ब्लाक आबंटित हो चुके हैं। उनके शुरू होने का मतलब है- धरमजयगढ़ शहर समेत संबंधित गांवों का नामोनिशान मिट जाना। इस डर ने लोगों को एकजुट कर दिया। ग़ौर तलब है कि फ़रवरी 2011 में हुई जन सुनवाई में ग्रामीणों ने डीबी पावर लिमिटेड के प्रस्तावित कोयला खनन का तीखा विरोध किया था- कंपनी द्वारा पेश की गयी पर्यावरण प्रभाव आकलन की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया था।

धरमजयगढ के वाशिंदे कह रहे हैं कि वे हाथी-भालू के साथ ख़ुशी-ख़ुशी रह सकते हैं लेकिन डीबी पावर लिमिटेड के साथ नहीं। नारा लगा रहे हैं कि भास्कर समूह होश में आओ। यह वही भास्कर समूह है जो अख़बारी दुनिया का बड़ा खिलाड़ी है। अख़बारों का काम निगरानी करना है लेकिन भास्कर समूह की कंपनी पर धरमजयगढ के लोग निगरानी रख रहे हैं। यह इस दौर का दुर्भाग्य है।

(*यह तसवीर अक्टूबर 2006 में रायपुर में छत्तीसगढ़ विस्थापन विरोधी मंच द्वारा आयोजित विशाल रैली के दौरान की है। छायाकार हैं आदियोग*)

कोयला सत्याग्रह : ज़मीन हमारी तो कोयला भी हमारा

गांधी जयंती के मौक़े पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कोई 14 गांवों के किसानों ने कोयला क़ानून तोड़ने का साहसी काम किया। कोयले पर अपनी दावेदारी दर्शाने के लिए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपनी ज़मीन से कोयला खोदा। नारा दिया कि ज़मीन हमारी तो कोयला भी हमारा। किसानों का यह क़दम इस नारे को सच में बदले जाने के संघर्ष की शुरूआत था। इस प्रेरणादायी कोयला सत्याग्रह की रिपोर्ट;

रायगढ़ के तमनार ब्लाक के कोई आठ सौ किसानों ने गांधी जयंती के मौक़े पर राष्ट्रपिता को अनूठे ढंग से याद किया, गुज़री 2 अक्टूबर को जैसे 12 मार्च 1930 का ऐतिहासिक दिन ज़िंदा कर दिया। गांधी जी ने उस दिन साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों के साथ जुलूस की शक़्ल में निकल कर मुट्ठी भर नमक बनाया था। यह नमक क़ानून तोड़ो आंदोलन के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज़ हुआ। यह जन कार्रवाई नमक के उत्पादन और बिक्री से संबंधित क़ानून को अस्वीकार करने और नमक़ पर आम लोगों का हक़ जताने के लिए थी।

82 बरस बाद उसी तर्ज़ पर गांधी जयंती के मौक़े पर रायगढ़ के किसानों ने कोयला क़ानून तोड़ा। सबसे पहले गारे गांव में आसपास के एक दर्ज़न से अधिक गांवों के लोग जमा हुए। गांधीजी की तसवीर पर पुष्पांजलि भेंट की गयी। इसके बाद लोग जुलूस बना कर, गैती और टोकरियों और बैनर-पोस्टर के साथ नारे लगाते हुए गांव-गांव घूमे और आख़िरकार गारे गांव के खेतों में पहुंचे जहां उन्होंने ज़मीन खोद कर कोयला निकाला। इस तरह उन्होंने दावा किया कि ज़मीन हमारी है तो इसके नीचे दबा कोयला भी हमारा है और हम उसे किसी कंपनी के हवाले नहीं होने देंगे। खोदे गये कोयले को लाद कर गारे गांव लाया गया। खनिज विभाग के अधिकारियों को न्यौता भी भेजा गया कि वे गांव आयें और खोदे गये कोयले की रायल्टी की पर्ची काटें।

यह जन कार्रवाई सरकार की कोयला आबंटन की उस नीति को ख़ारिज़ करने के लिए थी जिसका कुल मक़सद केवल बड़ी कंपनियों और भ्रष्टाचार को मौक़ा देना है, और जिसका देश और देश के लोगों के भले से कोई लेनादेना नहीं है।

याद रहे कि कोई डेढ़ माह पहले गारे गांव में हुई किसानों की बैठक में फ़ैसला हुआ था कि वे ख़ुद अपनी कंपनी बना कर बिजली संयंत्र लगायेंगे और कोयले का खनन भी करेंगे। इसी के साथ कंपनी बनाये जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी। इसी कड़ी में कोयले पर जनता की दावेदारी का इज़हार करने के लिए गांधी जयंती का दिन चुना गया। नमक क़ानून तोड़ो आंदोलन की तरह यह कार्यक्रम भी सांकेतिक था। किसानों ने बिना लाइसेंस के अपनी ज़मीन से कोयला निकाला और ताल ठोंक कर यह एलान भी किया कि अब उनका अगला कार्यक्रम कोयला खदानों में घुस कर कोयला निकालने का होगा। मतलब कि वे निर्णायक लड़ने को तैयार हैं भले ही उन्हें इसकी कितनी ही बड़ी क़ीमत क्यों न अदा करनी पड़े।

लंबे अरसे से कंपनियों के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे मेहनतकश किसान मज़दूर सभा के नेता हरिहर पटेल (जुझारूपन के लिए कोई डेढ़ साल की जेल भी काट चुके हैं) ने इस मौक़े पर कहा कि किसान सरकार को कोयला निकालने के लिए दोगुना रायल्टी देने को तैयार हैं। उन्हें अपनी ज़मीन से कोयला निकालने की इजाज़त मिलनी चाहिए। यह उनका अधिकार है। इसके लिए वे सरकार को रायल्टी भी चुकायेंगे लेकिन अगर सरकार किसानों को लाइसेंस नहीं देती तो भी वे अपने इस अधिकार का उपयोग करेंगे।

अपनी ही ज़मीन से कोयला खोदेंगे और अगर सरकार इसके लिए उन पर पेनाल्टी ठोंकती है तो उसे कभी अदा नहीं करेंगे। कुछ इस तरह नारा गूंजा- रायल्टी देंगे, पेनाल्टी नहीं।

कहना होगा कि किसानों की इस कार्रवाई से प्रशासन के अलावा वोट के मैदान के नेता भी सकते में हैं। क्षेत्र के भाजपा विधायक किसानों के इस क़दम को सही नहीं मानते। उनके मुताबिक़ किसानों को क़ानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस सवाल पर कि तब तो गांधीजी को भी नमक क़ानून नहीं तोड़ना चाहिए, उनका जवाब है कि तब की परिस्थितियां कुछ और थीं। जिले के कांग्रेसी नेताओं का भी यही सुर है।

रायगढ़ में उद्योगों के चलते हो रहे भारी विस्थापन और बढ़ते प्रदूषण के ख़िलाफ़ सक्रिय जन चेतना से जुड़े राजेश त्रिपाठी की टिप्पणी है कि इसमें अचरज कैसा? रायगढ़ में उद्योग लगाये जाने के सवाल पर जितनी जन सुनवाइयां हुईं, उसे केवल जन सुनवाई का नाटक कहा जा सकता है। इन नाटकों में हम दोनों दलों को एक जैसी जन विरोधी भूमिका अदा करते हुए ख़ूब देख चुके हैं। भले ही दोनों के झंडे अलग हों और वे कुश्ती लड़ते रहते हों लेकिन विकास के नाम पर हो रहे सत्यानाश में दोनों बराबर के भागीदार हैं।

किसानों के इस क़दम को रायगढ़ समेत पूरे छत्तीसगढ़ में और देश के दूसरों हिस्सों से भी व्यापक समर्थन मिला है। सभी का मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों पर उन्हीं का अधिकार बनता है जो सदियों से इसके वारिस रहे हैं और उसकी हिफ़ाज़त करते रहे हैं। सरकार नियामक हो सकती है, नियंता नहीं। उसे अधिकार नहीं कि इस ख़ज़ाने को उसके असली हक़दारों से छीन कर चंद बाहरी हाथों को सौंप दिया जाये। यह कहीं से लोकतांत्रिक नहीं।

किसानों द्वारा कंपनी बना कर साझा उद्योग लगाने का फ़ैसला कोई नया नहीं है। झारखंड में ऐसी पहली कंपनी 2007 में बनी थी। बाद में गुजरात में भी यह प्रयोग हुआ। कुछ जगहों पर सामूहिक परियोजना शुरू भी हो चुकी है। तो तमलनार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

यहां जिंदल, जायसवाल, मोनेट, प्रकाश स्पंज जैसे उद्योग समूहों को कोयला खदानें आबंटित की गयी हैं। इसके चलते कई गांव हमेशा के लिए जिले के नक़्शे से मिट गये हैं। उद्योग-धंधों की भरमार ने रायगढ़ को देश के सर्वाधिक प्रदूषित जिलों की सूची में पहुंचा देने का काम किया है। रायगढ़ आदिवासी बहुल इलाक़ा है। क़ानून के मुताबिक़ ऐसे इलाक़ों में ज़मीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। लेकिन अधिकतर मामलों में यही देखा गया कि ग्राम सभा की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए लोगों की ज़मीनें छीनी गयीं और उसे कंपनियों को सौंप दिया गया। लोगों को क्या मिला? उनकी आजीविका का साधन छिना और उनके सामने ज़िंदा रहने का संकट खड़ा हो गया। लेकिन हां, ढेर सारे लोगों की बर्बादी का फ़ायदा कुछ कंपनियों को भरपूर मिला।

यह अंधेरगर्दी है, सरासर ज़्यादती है। तमलनार के किसानों ने इसे पहली बार तगड़ी चुनौती दी है। देखना होगा कि यह चुनौती सरकार और कंपनियों के लिए कितनी मारक बनती है और उसकी आंच कितनी दूर तक फैलती है।

छत्तीसगढ़ को लूटने का राज्योत्सव

सुधा भारद्वाज अपने पूरे अंदाज़ और मिजाज़ में ठेठ छत्तीसगढ़ी महिला हैं। वे पीयूसीएल की राज्य इकाई की अध्यक्ष हैं, बिलासपुर उच्च न्यायालय की मशहूर वकील हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलनों का जाना-पहचाना नाम हैं और विभिन्न जन संघर्षों की हमराही हैं। कोई चार साल पहले लिखी गयी उनकी 'बर्बरतम विस्थापन और बहादुराना प्रतिरोध' नामक पुस्तिका छत्तीसगढ़ में राज्य दमन और संघर्ष की ज़िंदा तसवीर खींचती है। पेश है छत्तीसगढ़ के ताज़ा हालात को लेकर उनकी यह टिप्पणी;

12 साल पहले जब अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना तो यह जुमला चल निकला और जो ख़ूब मशहूर हुआ कि अमीर धरती के ग़रीब लोग। आज कहना होगा कि यहां के ग़रीब और गरीब हो गये। इधर पूरे देश में कोयला आबंटन को लेकर हल्ला-गुल्ला मचा। कोयला आबंटन और उसमें हुई धांधलियों का गढ़ तो छत्तीसगढ़ है। इस मायने में इसने बाक़ी दूसरे राज्यों को पछाड़ दिया। यह तो होना ही था। इसलिए कि कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार यहीं हैं और कंपनियों पर सबसे ज़्यादा मेहरबान भी यहीं की सरकार रहती है।

इस तरफ़ ध्यान दिलाना चाहूंगी। चुनावी मौसम में सरकारें जनता को रिझाने और उनका विश्वास जीतने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा देती हैं। अपने दामन को पाक-साफ़ दिखाने और ख़ुद को जनता का हमदर्द बताने के तमाम जतन करती हैं। यह बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन यहां इसका उल्टा दिख रहा है। सरकार उद्योगपतियों को रिझाने और उनका विश्वास जीतने का काम कर रही है। राज्योत्सव के दौरान आयोजित किया गया ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट यही कहानी कहता है। राज्योत्सव तो इसका बहाना भर था।

इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की ज़रूरत है। दुनिया के स्तर पर भीषण वित्तीय संकट है और उससे बाहर निकलने के रास्ते नहीं सूझ रहे। दुनिया में आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राज है और जिसका सरगना अमरीकी साम्राज्यवाद है। उसके टिके रहने के दो रास्ते हैं। पहला तो यह कि शताब्दियों के संघर्ष से मज़दूर वर्ग को जो अधिकार मिले हैं, उसे वापस ले लिया जाये। यह आसान रास्ता नहीं है, इस पर चलना जोखिम भरा काम है। ग्रीक, स्पेन, इटली आदि तमाम देशों में मज़दूरों को मिली सुविधाओं में कटौती किये जाने के ख़िलाफ़ इधर हाल में हुई ऐतिहासिक हड़तालें इसका सबूत हैं और जिन्होंने लुटेरे पूंजीपतियों की चूलें हिला देने का ऐतिहासिक काम किया। बचता है दूसरा रास्ता कि संसाधनों की लूट को और घना, और व्यापक कर दिये जाने का है।

इस लूट का एक निशाना हिंदुस्तान भी है। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि राज्य प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज़ से बेहद अमीर हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस अमीरी को लूटने और धरती को कंगाल कर देने के लिए अपने देश में डेरा डाल चुकी हैं और कई कंपनियां धावा बोलने के लिए लार टपका रही हैं। इसकी तीखा प्रतिरोध भी हो रहा है। कई जगहों पर लोग अपनी ज़मीन, जंगल, पहाड़, नदी को बचाने के लिए जान की बाजी भी लगा रहे हैं। यह नारा कई इलाक़ों में तेज़ी से फैल और गूंज रहा है कि जान देंगे पर अपना इलाक़ा नहीं। तो लड़ाई शुरू हो चुकी है, और बेशक़, यह लड़ाई विभिन्न रूपों में है और उसका नेतृत्व अलग-अलग विचारधारा के लोगों के हाथ में है।

रायगढ़ में रमेश अग्रवाल लंबे अरसे से विस्थापन और प्रदूषण के ख़िलाफ़ मैदान में हैं। उन्होंने जिंदल को चुनौती दी तो उनके साथ क्या हुआ? फ़र्ज़ी आरोप लगा कर उन्हें जेल भिजवाया गया। विरोध तब भी नहीं थमा तो उन पर दिनदहाडे गोलियां बरसवायी गयीं। शुक्र है कि वे बच गये। प्रतिरोध की आवाज़ों को कुचलने की घृणित कोशिशें बताती हैं कि जिंदल कितना ताक़तवर है, कि सरकार उसके पैर दबाती है। जिंदल का नाम दुनिया के उन गिनेचुने सीईओ में शामिल है जो अपनी कंपनियों से मोटी तनख़्वाह लेते हैं।

रायगढ़ की तरह जशपुर में भी सरकार ने उद्योगों के लिए कंपनियों के साथ थोक के भाव करार किये। जांजगीर चांपा में 78 फ़ीसदी ज़मीन खेतिहर है और बेहद उपजाऊ है। यह धान के कटोरे का केंद्र है और उसी केंद्र में पावर प्लांट के लिए 34 एमओयू किये गये। बलौदा

बाज़ार सीमेंट उद्योग का गढ़ हो गया। वहां लाफ़ार्ज़ और होल्सिम जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां काबिज़ हैं और जो दुनिया भर में संसाधनों की लूट, प्रभावित समुदायों के साथ धोखाधड़ी और श्रम अधिकारों के हनन के लिए बदनाम हैं। बलौदा बाज़ार में उन्होंने चारागाह और गोठान को भी जबरन हड़प लिया। वे इतनी दबंग हैं कि उनके लिए केंद्रीय सीमेंट वेज बोर्ड का कोई मतलब नहीं।

तो चौतरफ़ा यही सीन सामने है कि कंपनियां अपनी मर्ज़ी की मालिक़ हैं और सरकार पर हावी हैं। उनके ख़िलाफ़ मुंह खोलनेवालों पर फ़र्ज़ी मुक़दमे हैं और हमले हैं, लड़ाकू ताक़तों की एकता को तोड़ने के तरह-तरह के हथकंडे हैं। इसमें सरकारी महकमा कंपनियों के साथ खड़ा है। जब-तब ख़बर आती है कि फ़लां अधिकारी के यहां करोड़ों की संपत्ति पकड़ी गयी। यह 2012 का नज़ारा है और इन विसंगतियों के बीच राज्योत्सव का आयोजन है। यह सूबे में प्राकृतिक संसाधनों की लूट को और बढ़ाने, लोगों को बदहालियों में और ज़हर घोलने का उत्सव है।

राज्योत्सव के लिए 12 एकड़ में लगी फ़सल की बलि भी चढ़ी। नया रायपुर के बनने से प्रभावित हुए किसानों के लिए तो यह उनके सर्वनाश का उत्सव है। इधर राज्योत्सव चल रहा था और उधर नया रायपुर से प्रभावित किसान अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी को लेकर गुस्से में हैं और सदमे में भी। दमन के अंदेशे से गांवों में वीरानी और उदासी छायी हुई है। कुल मामला यह कि नयी राजधानी के लिए उनकी आजीविका का साधन लूटा गया और इसकी वाजिब क़ीमत से उन्हें वंचित कर दिया गया। राज्योत्सव के भव्य और गर्वीले शोर ने न्याय की उनकी आवाज़ों को दबा दिया। तो राज्योत्सव उनकी बरबादियों के पहाड़ पर आयोजित उत्सव है।

सवाल है कि जिस विकास की बात की जा रही है, वह छत्तीसगढ़ को कहां ले जायेगा? यहां के लोगों को किस हाल में छोड़ेगा? धान के कटोरे को कहां ले जा कर पटकेगा? विकास की अंधी आंधी से जुड़ा यह सवाल छत्तीसगढ़ के स्तर पर ही नहीं, कमोबेश पूरे देश के स्तर पर है।

छत्तीसगढ़ के हज़ारों आदिवासी जेल में हैं। आप बस्तर या सरगुजा जाइये और गांव के आम लोगों से पूछिये तो पता चलेगा कि इनमें से ज़्यादातर मामले फ़र्ज़ी हैं। सुरक्षा बल गांव और जंगल में गश्त पर निकलते हैं तो किसी को भी मार गिराते हैं या पकड़ कर उसे माओवादी बता देते हैं। सरकार की पूरी सोच सुरक्षा केंद्रित हो गयी है। नागरिक अधिकारों के लिए जगहें बची ही नहीं या बहुत सिकुड़ गयी हैं।

इससे लोगों में अन्याय का अहसास होने लगा है। यह शांति और ख़ुशहाली के लिए अच्छा नहीं है। चार महीने पहले बस्तर के बसगुडा गांव में 17 आदिवासियों का संहार हुआ और उन्हें माओवादी घोषित कर दिया गया। इनमें छह नाबालिग बच्चे भी थे। स्वतंत्र जांच एजेंसियों और मीड़िया ने भी अपनी पड़ताल में मुठभेड़ की पुलिसिया कहानी को फ़र्ज़ी बताया। तब कहीं जा कर सरकार ने मामले की जांच किये जाने का फ़ैसला किया। तीन महीने गुज़र चुके हैं लेकिन जांच के क़दम नहीं बढ़ सके। गांववालों के बयान ही दर्ज़ नहीं हुए। कैसे होते? जांच के लिए गांव की विज़िट ही नहीं हुई। क़ानून के शासन की यह स्थिति है। इससे लोगों में गहरी हताशा-निराशा है।

तो छत्तीसगढ़ में जैसे बिना घोषणा के आपात काल लागू कर दिया गया है। भारी दमन के बावजूद जगह-जगह इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें भी उठ रही हैं। अभी औद्योगिक हादसों के संदर्भ में कई ट्रेड यूनियनें साझा दस्तक के लिए साथ आयीं। विस्थापन के ख़िलाफ़ साझा कार्रवाइयों के लिए विस्थापन विरोधी मंच बना। इसी तरह छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की शुरूआत हुई जो जन सुनवाई के सरकारी नाटकों और पेसा क़ानून के घोर उल्लंघन से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हो रहे दमन के ख़िलाफ़ लगातार आवाज़ उठा रहा है। रमेश अग्रवाल पर हुए क़ातिलाना हमले, बीजापुर की फ़र्ज़ी मुठभेड़ और कारपोरेट द्वारा न्याय मांगनेवालों पर लगाये गये झूठे मुक़दमों के ख़िलाफ़ पिछली 16 जुलाई को विभिन्न संगठनों की ओर से विधानसभा तक साझे मार्च का आयोजन हुआ। कुल मिला कर कहें तो अभी लड़ाई जारी है और इस लड़ाई के माहौल में राज्योत्सव है। यह सरकारी दमन और बर्बरता का राज्योत्सव है।

आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी : जेल से दयामनी बारला का इंटरव्यू

झारखंड में किसानों की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला विगत दो महीने से जेल में हैं। उन पर भ्रष्टाचार और भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध आंदोलन के दौरान सरकारी काम में दखलअंदाजी का आरोप है। दयामनी की रिहाई की मांग को लेकर पत्रकार, लेखक और कलाकार सड़क पर उतर आए हैं। राज्य भर में उनकी रिहाई को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। विगत दिनों बिरसा मुंडा केंद्रीय काराग्रह, रांची में दयामनी से उन पर लगाए गए आरोपों, आंदोलनों और भूमि अधिग्रहण के मसलों पर नौशाद और आलोका की लंबी बातचीत:

मनरेगा जैसी योजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के एक पुराने मामले में जब आपने न्यायालय में सेरेंडर किया था, तो आपको इस बात की जानकारी थी कि इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है?

मैंने वर्ष 2006 में मनरेगा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। तब लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया था, कोई अपराध नहीं किया था। इसलिए मुझे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि हमें इस मामले में इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा।

जब आपने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था तो क्या इस बात की जानकारी थी कि आपके खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं?

मेरे विरूद्ध और भी मामले दर्ज हैं, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। सेरेंडर करने के बाद दूसरे मामले में मेरे खिलाफ वारंट जारी किया गया। इससे पहले मुझे इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं मिली थी। जेल में रहते ही वारंट जारी होने के बाद मुझे पता चला कि मैं नगड़ी में अधिग्रहण के लिए प्रयास किए जा रहे जमीन पर धान रोपने की आरोपी हूं। इसके बाद अखबारों से यह पता चला कि मुझपर न्यायालय का अवमानना करने का भी आरोप है। इस मामले में भी मुझे अबतक किसी तरह की नोटिस नहीं मिली है।

ये न्यायालय अवमानना के मामले में क्या है?

मैंने पहले ही कहा है कि इस मामले में मुझे कोई नोटिस नहीं मिली है। अखबारों से यह पता चला है कि यह मामला नगड़ी मामले को लेकर हाईकोर्ट का पुतला दहन करने से संबंधित है। जबकि मैं उस कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुई थी। दरअसल, सालखन मुर्मू राजभवन के पास नगड़ी मामले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उसी दौरान मैं उनसे एक मानवीय संवेदना के तहत मिलने गई थी। मेरी इस मुलाकात के बाद कुछ लोगों ने अलबर्ट एक्का चौक पर हाईकोर्ट का पुतला दहन किया था। उस मामले में मुझे भी जोड़ दिया गया है। जबकि मैं उसमे थी ही नहीं। कोर्ट ने इस मामले में 26 नवंबर तक मुझसे जवाब मांगा है।

तो आप कोर्ट को जवाब देंगी?

हां क्यों नहीं, मैं शुरू से ही न्यायालय का सम्मान करती रही हूं। इस मामले में मैं कोर्ट के समक्ष अपनी बात अवश्य रखना चाहूंगी।

भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध आप कई बड़े आंदोलनों में शरीक रहीं। लेकिन नगड़ी के मसले में आपको कुछ अलग तरह के ही अनुभव हुए। इस मसले को लेकर आपको जेल की यात्री भी करनी पड़ी। क्या कहेंगी इसपर?

हां, आपने सही कहा। मैं कई आंदोलनों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सक्रिय रही। कोयलकारो आंदोलन में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भी संघर्षरत रही। गुमला और खूंटी में मित्तल के भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध भी लड़ाई लड़ी। हर जगह हम बहुत हद तक सफल हुए। लेकिन नगड़ी की लड़ाई से हमे कुछ अलग तरह का ही अनुभव मिल रहा है। नगड़ी को लेकर मैं थोड़ी मायूस जरूर हूं, पर नाउम्मीद नहीं हूं। हमें पूरा भरोसा है

कि यह लड़ाई भी एक निर्णय तक पहुंचने के बाद ही खत्म होगी।

आप एक महीने से अधिक समय से जेल में हैं। इस दौरान आपके विचारों में किसी तरह का बदलाव तो नहीं आया। क्या नगड़ी या भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध आंदोलन को आप आगे भी लीड करती रहेंगी?

जेल में आने के बाद भी मेरे विचार वही हैं, जो पहले थे। मुझमें कोई बदलाव नहीं आया। मैं आगे भी नगड़ी के आंदोलन को नेतृत्व देती रहूंगी। मैं नगड़ी के लोगों की जमीन को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करती रहूंगी। इसके लिए मुझे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए या फिर फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। मैं नगड़ी तो क्या, राज्य के किसी भी हिस्से में किसानों के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। क्योंकि जमीन खोने का दुख क्या होता है, यह मैंने महसूस किया है और भोगा भी है। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे मां-बाप की जमीन छीन ली गई। इसके वजह से मेरे मां-बाप को गांव से पलायन करना पड़ा। उन्हें मेहनत-मजदूरी करनी पड़ी। पिता शहर में मोटिया मजदूर बने तो मां दूसरे के घरों में जूठन धोयी। मेरे भाईयों को भी कुली और धांगर बनना पड़ा। यहां तक कि मैं खुद भी छोटी उम्र में मजदूर बनी। दूसरे के घरों में बर्तन तक धोए। इसलिए अब मैं यह हरगिज नहीं चाहती कि किसी के माता-पिता की जमीन छीनी जाए या पिता मजदूर बने और किसी का भाई धांगर। यह भी नहीं चाहती कि किसी की मां को दूसरे के घरों में जूठन धोने को मजबूर होना पड़े या किसी की बेटी को दाई बनना पड़े।

लेकिन दयामनी जी विकास के लिए सरकार को जमीन तो चाहिए ही न?

हां जरूर चाहिए। लेकिन किसानों की कृषि योग्य जमीन ही क्यों? राज्य में 38 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। 22 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है और 14 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है। आखिर सरकार इस बंजर भूमि पर कल-कारखाने या पॉवर प्लांट लगाना क्यों नहीं चाहती है। हर जगह उनकी नजर किसानों की भूमि पर ही क्यों है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं। सरकार विकास के लिए बंजर भूमि का उपयोग कर सकती है।

अच्छा एक बार फिर से नगड़ी की ओर लौटना चहूंगा। नगड़ी का मामला सिर्फ भूमि अधिग्रहण का नहीं है। यह मामला काफी पेचिदा लगता है। कोर्ट का मानना है कि नगड़ी में भूमि का अधिग्रहण बहुत पहले ही हो चुका है और रैयतों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण हुआ ही नहीं है। आखिर हकीकत क्या है?

देखिए मैंने अभी हाल ही में आरटीआई के तहत भू-अर्जन विभाग से नगड़ी की जमीन का ब्योरा मांगा है। विभाग ने सूचना दी है कि 1957 में बिरसा एग्रीकल्चर के विस्तार के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया। इसके एवज में 1958 में 153 रैयतों में से 128 ने जमीन का मुआवजा लेने से इंकार कर दिया। दूसरी तरफ संबंधित किसानों की मालगुजारी रसीद भी कटती रही। इससे साफ जाहिर होता है कि वास्तविक रूप से जमीन का अधिग्रहण हुआ ही नहीं है। मैंने आरटीआई के तहत जिस विभाग के लिए जमीन अधिग्रहित करने की बात की जा रही है यानि बिरसा एग्रीकल्चर विभाग से भी यह सूचना मांगी है कि अगर जमीन अधिग्रहण हुआ है तो उसका उपयोग किस रूप में किया गया? इसपर इस विभाग का जवाब भी हैरत में डालने वाला है। विभाग ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि इसकी जानकारी विभाग को नहीं है। विभाग ने यह भी कहा है कि जमीन का अधिग्रहण हुआ ही नहीं है तो उसका उपयोग किस रूप में होगा?

अंत में एक सवाल और। क्या आप किसानों के भूमि अधिग्रहण पर नगड़ी और राज्य की जनता से कुछ कहना चाहेंगी?

मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगी कि वे किसी भी कीमत पर अपनी खेती लायक जमीन को हाथ से जाने नहीं दें। इसके लिए वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखें। जनसंघर्ष की ताकत अन्य सभी प्रकार की ताकत से मजबूत होती है। उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।

झारखण्ड के 12 साल: क्या खोया, क्या पाया

15 नवंबर 2012 को अलग झारखण्ड राज्य के गठन को 12 साल पूरे हो गयें । इस मौक़े पर रांची के मोरबादी मैदान में सरकारी उत्सव मनाया गया । इसमें अब तक हुए तथाकथित विकास का ढोल पिटा गया ज़ाहिर है कि यह झूठ और मक्कारी से मढ़ा हुआ था । इसकी थाप यह एलान करने की गरज़ से हुई कि होशियार-ख़बरदार, अभी और अंधेरा छायेगा, कि हक़ और इंसाफ़ की आवाज़ को लाठी-गोली-जेल मिलेग, कि सरकार बहादुर विकास के देवताओं की आरती उतारने को उतावली है, कि इसके लिए उसे आदिवासियों और मूलवासियों के दुख और गुस्से की परवाह नहीं। दूसरी ओर उसी मैदान के एक कोने में विस्थापन और राज्य दमन के ख़िलाफ़ विभिन्न संगठनों और समुदायों की साझा हुंकार भी गूंजी कि बस अब और नहीं सहा जायेगा, कि विकास नाम के पगलाये अंधड़ को थमना ही होगा, कि झारखण्ड की जनता आख़िरी दम तक लड़ने को तैयार है।

अब तक राज्य सरकार ने देशी-विदेशी कंपनियों के साथ कुल 107 एमओयू किये। लेकिन यह तीखे जन विरोध का नतीज़ा है कि छोटे-मोटे उद्योगों को छोड़ दें तो कोई बड़ी कंपनी उसे अमली जामा पहनाने में कामयाब नहीं हो सकी। आख़िर उद्योग हवा में तो लगाये नहीं जा सकते। लोगों ने ताल ठोंक कर कहा कि वे विकास उर्फ़ उद्योगों के नाम पर अपनी एक इंच ज़मीन भी क़ुर्बान नहीं होने देंगे। याद रहे कि एक साल पहले इस्पात के बादशाह आर्सेलर मित्तल को जनता के इसी इस्पाती तेवरों ने झारखंड की धरती से अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर उल्टे पांव भाग जाने को मजबूर कर दिया था। इसी रोशनी में स्टेन स्वामी की यह रिपोर्ट;

कुछ का विकास, बाकी का सत्यानाश

पहले उनके बारे में जिन्हें अलग झारखण्ड राज्य बनने से बहुत कुछ मिला। इनमें सबसे पहले उद्योगपति हैं। अब तक सरकार देशी-विदेशी कंपनियों से 107 एमओयू कर चुकी है। दावा है कि इसमें कोई एक लाख करोड़ रूपयों का निवेश होगा। इसके लिए कितनी जमीन चाहिए- एक लाख 60 हजार हेक्टेयर। राज्य सरकार कंपनियों को इसकी व्यवस्था हो जाने का भरोसा दे चुकी है। जाहिर है कि यह भारतीय संविधान के उन प्रावधानों का उल्लंघन करके किया जायेगा जो आदिवासियों के हित-अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाये गये हैं।

उद्योगपतियों के बाद खदान मालिकों का नंबर आता है। यहां 17 कोल ब्लाक का आबंटन हुआ। पता चला कि इसमें भारी गड़बड़ी हुई है। जिन पर इसके दाग लगे, उनमें खुद मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। उन्होंने अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में इसके लिए केंद्र से सिफारिश की थी।

इसके बाद राजनेताओं का नंबर है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह सरकारी विभागों में चिपक गया है और फिलहाल उसका इलाज संभव नहीं दिखता। इसके पीछे राजनेताओं का ही हाथ है। भ्रष्टाचार के एक से बढ़ कर एक किस्से खुलते रहते हैं। जांच के आदेश होते हैं लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, यह पता नहीं चल पाता। उसे दबा दिया जाता है या फिर जांच ही ठंडे बस्ते में पहुंचा दी जाती है। कार्रवाई होती है तो मामूली से मामलों पर ही। बड़ी मछलियां सुरक्षित बची रहती हैं, उन पर कोई आंच नहीं आ पाती। यहां तो ऊपर से नीचे तक गड़बड़ लोगों का दबदबा है। कौन किसकी पोल खोले? स्थिति यह है कि तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचायें और दोनों आराम से बेधड़क लूटें।

लूटनेवालों में जाहिर है कि नौकरशाही भी शामिल है। सच तो यह कि राजकाज उन्हीं के भरोसे है- नौकरशाही इतनी ताकतवर है। सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर तय हो गया है कि उसे बस नाम के वास्ते चलाया जाना है- चाहे वह

केंद्र सरकार का मनरेगा कार्यक्रम ही क्यों न हो। सभी जन हितकारी कार्यक्रम बस अधूरे और लचर हैं।

मुठ्ठी भर संख्यावाला उच्च वर्ग तो हमेशा से मौज में रहा है। बड़ी संख्यावाला शहरी मध्य वर्ग भी पीछे नहीं है। चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में- उसके वेतन और भत्तों में लगातार बढ़त हुई है। तेजी से धनाड्य हो रहा यह वर्ग ही झारखण्ड में उपभोक्तावाद का सबसे बड़ा वाहक और प्रचारक है। उसे चिंता नहीं कि बाकी समाज का क्या हालचाल है? उसे बस अपनी चिता है, राज्य के अधिसंख्य लोगों की नहीं। उसकी जेब में जरूरत से कहीं ज्यादा पैसा है और उसका बेशर्म प्रदर्शन है। इसी दीवाली में केवल रांची शहर में पटाखों से लेकर बर्तन, कपड़े, जेवर आदि में 12 सौ करोड़ का व्यापार हुआ। यह पैसा कहां से आया? इसकी जांच कौन करे और कैसे?

पानेवालों में गुंडे और बिचौलिये भी हैं। उद्योगपतियों को उद्योग खड़ा करने के लिए जमीन चाहिए और लोग अपनी जमीन देने को तैयार नहीं। जब बहलाने-फुसलाने से लोग नहीं मानते तो गुंडे काम पर लगा दिये जाते हैं। उधर बिचौलिये समझाने में लगे रहते हैं कि भला इसी में है कि अपनी जमीन छोड़ दो वरना जो मिल रहा है, उसे भी खो दोगे। जमीन तो आखिरकार देनी ही होगी। गुंडे और बिचौलिये उद्योगपतियों की सेवा में हैं। याद रहे कि इनमें अधिकतर झारखण्ड से बाहर के लोग हैं- मुख्यत: बिहार और उत्तर प्रदेश के। उनका काम है कि जो बोले- उसे पीटो, लूटो या जान से मार दो। लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता। उन्हें पुलिस-प्रशासन का पूरा संरक्षण जो हासिल है। इसलिए कि सरकार भी तो उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। सुरक्षा बल दो कदम और आगे हैं। अक्सर खबरें आती हैं कि नक्सलियों की तलाश में निकले जवानों ने बलात्कार किया, घर और फसलों को आग के हवाले किया। यह आये दिन का किस्सा बनता जा रहा है। अलग राज्य बनने के बाद यह नयी परिघटना है।

अब खोनेवालों की चर्चा। पिछले 12 सालों में सबसे पहले और सबसे ज्यादा झारखण्ड की आदिवासी जनता ने खोया। वह जल, जंगल, जमीन की असली मालिक है और उससे इसे छीन लेने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की यह खतरनाक चाल भी है कि आदिवासियों की संख्या घटा कर बतायी जाये ताकि उसकी जमीन हथियाओ मुहिम को आसान बनाया जा सके। खेती की जमीन को गैर खेतिहर जमीन बताया जा रहा है और जन हित में उसके अधिग्रहण की तैयारी है। इसका तगड़ा विरोध हो रहा है। लोग इस जुर्म में गिरफ्तार किये जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। नगड़ी का मामला एकदम ताजा है। दयामनी बारला पर एक के बाद एक फर्जी मामले बनाये गये और उन्हें जेल पहुंचा दिया गया। इसके खिलाफ हम सब आवाज उठा रहे हैं। झारखण्ड से बाहर भी इसका विरोध हो रहा है।

झारखण्ड की जनता ने अपने पूरे इतिहास में इतनी परेशानियों का सामना नहीं किया, जितना उसे इन 12 सालों में लगातार करना पड़ा और जिसका सिलसिला लगातार जारी है। विरोध करनेवालों को नक्सली बता दिया जाता है। लोगों के सामने उसकी गलत और मनगढ़ंत तसवीर पेश की जाती है और इस तरह ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है कि बेगुनाहों के खिलाफ की जानेवाली कार्रवाइयों को सही ठहराया जा सके। ऐसा नहीं कि केवल आदिवासी ही परेशान हैं। राज्य में दलित कुल आबादी में 10 प्रतिशत हैं। वे हमेशा से लगभग भूमिहीन रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह यहां उनका कोई सशक्त संगठन नहीं जो उनकी आवाज बुलंद कर सके। यहां तो उनका अस्तित्व ही जैसे गायब है। कुछ के पास जमीन का छोटा टुकड़ा रहा है जो उनके जीवन का आधार रहा है। उसे भी छीना जा रहा है। पेट भरने के लिए उन्हें पलायन करने को

बाध्य होना पड़ रहा है। बड़े शहरों में वे अंसगठित क्षेत्र के मजदूर हैं और जहां उनकी सुननेवाला कोई नहीं, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं।

कहना होगा कि 12 सालों में सबसे अधिक महिलाओं ने खोया। परंपरागत रूप से आदिवासी समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लेकिन पिछले 12 सालों की हलचलों से यह बहुत हिला है। यह चिंताजनक बात है। मोटे अनुमान के अनुसार राज्य की कोई दो लाख महिलाओं ने बड़े शहरों में पलायन किया। इनमें अधिकतर कम उम्र की हैं, आदिवासी समाज के अलावा दलित समाज की भी हैं। वहां वे घरेलू नौकरानी के बतौर काम कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर शोषण और अत्याचार झेलती हैं। कुछ अभागी लड़कियां वेश्यावृत्ति के लिए तस्करी की भेंट भी चढ़ जाती हैं और गायब हो जाती हैं। नयी दिल्ली में कुछ दोस्तों की मदद से कुछ हजार महिलाओं को सुरक्षा और उचित वेतन दिलाने का काम हो सका। लेकिन यह नाकाफी है। असली समाधान तो केंद्र और राज्य सरकार के हाथ में है।

दयामनी बारला की रिहाई के लिए दिल्ली में दस्तक: छात्र-युवाओं ने झारखंड भवन पर किया प्रदर्शन

झारखंड ट्राइबल स्टुडेंट्स असोसिएशन) जे.टी.एस.ए.) ,ऑल इंडिया स्टुडेंट्स असोसिएशन (आइसा) तथा डेमोक्रेटिक स्टुडेंट्स युनियन (डी.एस.यू.) के कार्यकत्ता और जनवादी विचारों वाले छात्र-युवा 12 नवम्बर को दिल्ली के वसंत विहार-स्थित झारखंड भवन के सामने आदिवासी कार्यकर्त्ता दयामनी बारला की अविलम्ब रिहाई के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों ने झारखंड भवन के सामने समाजकर्मियों को प्रताडित करने और आदिवासी भूमि पर जबरन कब्जा करने के खिलाफ नारे लगाए और झारखंड के अतिरिक्त स्थानिक आयुक्त (Assistant Resident Commissioner) ने भवन के मुख्या द्वार पर आकार प्रदर्शनारत युवाओं से ज्ञापन लिया ,जिसे उनकी उपस्थिति में पढकर सबके सामने सुनाया गया.

जे.टी.एस.ए. के साथी गणेश ने जोर देकर कहा की नगड़ी में चल रहे विस्थापन विरोधी आंदोलन में शामिल होने के कारण दयामनी बारला को षड्यंत्रपूर्वक जेल में रखा गया है और एक के बाद एक कई फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है. नगड़ी में विकास के नामपर आदिवासियों को बेदखल करके बनाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय क़ानून विश्वविद्यालय भी शामिल है , जिसके बोर्ड में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश खुद शामिल हैं. ऐसे में ,पुलिस के साये तले नगड़ी को खाली कराने संबंधी उनके आदेश के मायने समझे जा सकते हैं. पूरा का पूरा सत्तावर्ग आज गरीबों-आदिवासियों को बेदखल करने पर एकमत है.

जे.एन.यू. छात्रसंघ के सह-सचिव पीयूष और आइसा की नेता सुचेता डे और अनुभूति बारा ने भी सभा को सम्बोधित किया. उन्होंने देश भर में नगड़ी की तर्ज पर किसानों ,आदिवासियों और गरीबों को कारपोरेट के हितों में विस्थापित और पीड़ित करने पर क्षोभ जताया और साझा आंदोलन तेज करने पर बल दिया.

खोनेवालों में शहरी गरीब भी हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ी है। इसलिए कि उन्हें काम की तलाश में गांव छोड़ शहर आने को मजबूर होना पड़ा। वे स्लम में रहते हैं और कुलीनों की नजर में शहर को गंदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। स्लम का होना शहरों की खूबसूरती को खतम करता है। इसलिए उन्हें उजाड़ देने की कार्रवाइयां होती रहती हैं। कोई तीन साल पहले अकेले रांची में ही ऐसी तीन-चार बड़ी झोंपड़पट्टियों को बुलडोजरों से रौंदा गया। इस पर खूब हंगामा मचा। आखिरकार राज्य सरकार को पुनर्वास नीति बनाये जाने का वायदा करना पड़ा। दो साल गुजर गये लेकिन उस नीति का कहीं कोई अता-पता नहीं।

उधर, गांवों में कोई दो तिहाई महिलाएं खून की कमी का शिकार हैं और गांवों के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के घेरे में हैं। यह दुख और शर्म की बात है। तो अलग राज्य के रूप में झारखण्ड की 12वीं सालगिरह पर खुशी में ताली पीटने की कोई वजह नजर नहीं आती। जो इसे मना रहे हैं, उन्होंने तो झारखण्ड को लूटने का काम किया है। झारखण्ड की आम जनता के लिए तो 15 नवंबर का कार्यक्रम केवल सरकारी तमाशा है।

अन्याय की बुनियाद पर न्याय मांगते झारखण्ड के आदिवासी

विस्थापन विरोधी एकता मंच और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले पूर्वी सिंहभूम के पोटका से रांची तक, 2 नवम्बर को शुरू हुई पदयात्रा 10 नवम्बर 2012 को रांची में राजभवन के घेराव के लिय आयोजित प्रदर्शन में बदल गई. झारखण्ड के कोने-कोने से आये हजारों आदिवासियों ने 'जल-जगल-जमीन की लूट, नहीं किसी को छूट', हमें लोहा नहीं अनाज चाहिय, कारखाना नहीं, खेती और गांव का विकास चाहिए', आंदोलनकारियों को फर्जी मुकदमों में फैसाना बंद करो', दयामनी बारला को रिहा करों, आदि नारों से सरकार को चुनोती दे रहे थे. ज्ञात रहे कि 2 नवम्बर को पोटका से भूषण स्टील का एमओयू रद्द करने, कोल्हान को केंद्र शासित राज्य की मान्यता देने, कुजू डैम को रद्द करने, पांचवी अनुसूची को दृढ़ता पूर्वक लागू करने, जनद्रोही क़ानूनों और राज्य दमन के ख़िलाफ़ यह पदयात्रा शुरू हुई थी.
10 नवम्बर 2012 को पदयात्रा के समापन्न के मोके पर रांची में राजभवन के सामने एक विशाल जन प्रदर्शन का आयोजन किया गया. कुमार चंद मार्डी कि यह रिपोर्ट;

झारखण्डी जनता जल जंगल जमीन और खनिजो को लूटने वाले और झारखंडियो को उजाड़ने वाले कंपनियों के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। जनता ने जर्बदस्त आंदोलन खड़े कर दिये हैं और वह पूंजीपतियों को और उनके सेवा में लगें सरकार को उखाड़ फेंककर ही दम लेगी। सरकार ने झारखण्ड को देश-विदेश के लुटेरे पूंजीपतियों के लिए एक खुला चारागाह बना दिया है। केन्द्र तथा झारखण्ड की सरकार की नीतियां बिल्कुल जनविरोधी एंव राष्ट्र विरोधी नीतियां है। इनके विकास का मतलब है पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने की पूरी छूट। इतने इस्पात कारखाने जो बन रहे हैं यह देश की जरूरत के लिए नही, यह झारखण्डी मजदूरों को खटाकर विदेश में इस्पात बेच कर मुनाफा कमाने के लिये लगाये जा रहे है।

स्ंविधान में निहित अनुच्छेद 244 (1) के अंतर्गत 5वी अनुसूची के तहत इस क्षेत्र में प्रशासन एंव नियत्रण, कल्याण एवं उन्नति तथा शांति एवं सुशासन का प्रावधान है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई जमीन लेने पर मनाही है। फिर भी सरकारी अधिकारी कंपनियों को जमीनें दिलवा रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र के हितरक्षक राज्पाल है। इस विषम परिस्थिति में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन दुःख की बात है कि राज्यपाल के जमशेदपुर दौरे के क्रम में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सदस्यों ने राज्यपाल के समक्ष अपनी बात रखनी चाही लेकिन नजर अंदाज करते हुए अवसर नहीं दिया गया। मजबूरन उनके मार्ग को रोका गया और 5वीं अनुसूची को सख्ती से लागू करने का संदेश दिया गया। प्रशासन ने अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है ।

दूसरी ओर भूषण स्टील की झारखण्ड राज्य प्रदूषण बोर्ड से अनापति के लिए आयोजित 24 सितम्बर 2012 की जन सुनवाई में खुलकर प्रशासन ने मदद की। कंपनी का विरोध करने वाले लोगों को मौका नहीं दिया गया और उनके ऊपर झूठे मुकदमे लाद दिये गये।

इस प्रदर्शन के मोके पर सरकार से मांग की गई कि-

- पूर्वी सिंहभूम के पोटका में भूषण स्टील और आसनबनी में जिंदल कम्पनी सहित सभी एम, ओ, यू, रद्द करो।
- समता फैसला एवं रामो रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मुकदमा पर कोर्ट के फैसले को सख्ती से लागू किया जाए।
- 5वी अनुसूची सी,एन,टी एक्ट, एस, पी, टी, एक्ट का सख्ती से पालन की जाए।
- भूमि अधिग्रहण कानून रद्द करो।
- बजट का 80 प्रतिशत समग्र ग्रामीण विकास पर खर्च करे।
- जमीन बचाने वाले आंदोलनकारियों पर झूठे मुकदमे वापस लिये जाए।
- नगड़ी में रैयतो की जमीन वापस की जाए और पुलिस दमन बन्द हो।
- सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बरला को बिना शर्त अविलम्ब रिहा किया जाए।
- वन भूमि और गैर मजरूआ जमीन पूंजीपतियों को हस्तातरण पर रोक लगें एवं सरकार ग्रामसभा का सहमति से उपयोग करें।

इस प्रदर्शन में अखिल भारतिय आदिवासी महासभा विस्थापन विरोधी एकता मंच, गांव गणराज्य परिषद, भूमि रक्षा वाहिनी किसान मोर्चा (रोलाडी), खूंटकट्टी रैयत भूमि सुरक्षा संघर्ष समिति,पोटका, भूमि रक्षा संघर्ष समिति, आसनबनी पोटका पंचायत, भूमि सुरक्षा समिति, कालिकापुर आदि सगठनों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

तमिलनाडु

कूडनकुलम भविष्य की भोपाल त्रासदी हो सकता है : नॉम चौम्स्की

संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शिक्षाविद् तथा विचारक नोमचोमस्की ने कहा है कि कूडनकुलम भविष्य में होने वाली भोपाल त्रासदी हो सकता है। संघर्ष कर रहे लोगों के समर्थन में लिखे एकजुटता पत्र में नोम चोमस्की ने कहा कि परमाणु ऊर्जा एक खतरनाक पहल है खासकर भारत जैसे देशों जहां औद्योगिक आपदाएं ज्यादा बड़ी तादाद में होती रहती है। भोपाल आपदा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के शुरू होने के विरोध में साहसी लोगों के आंदोलन के लिए मैं अपनी एकजुटता व्यक्त करना चाहता हूँ।

नोमचोमस्की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भाषाविद, दार्शनिक, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक, तर्कशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक आलोचक और कार्यकर्ता है, उन्होंने एमआईटी में भाषा विज्ञान तथा दर्शन के विभाग एक प्रोफेसर के रूप में काम किया है, भाषा विज्ञान में अपने काम के अलावा उन्होंने युद्ध, राजनीति, मास मीडिया और कई अन्य क्षेत्रों पर लिखा है। चोमस्की को 1980 से 1992 के बीच किसी भी अन्य जीवित विद्वान से सबसे ज्यादा उद्धृत किया गया था और 2005 के एक सर्वेक्षण में उन्हें 'दुनिया का शीर्ष जन बुद्धिजीवी चुना गया था। आधुनिक भाषा विज्ञान का पिता कहे जाने वाले चोमस्को को उनकी पुस्तक 'मैनुफैकचरिंग कन्सेंट' के लिए जाना जाता है। नेशनल फिश वर्करस फोरम के सचिव टी. पीटर ने कहा '' नॉम चोमस्की का समर्थन, केरल, तामिलनाडु तथा श्रीलंका के मछुआरा समुदाय के लिए सबसे बड़ा वरदान है जो दुर्भाग्यवश कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पहले पीड़ित हैं। हमें उम्मीद है कि अब अधिक से अधिक समूहों तथा व्यक्तियों का समर्थन इस संघर्ष को मिलेगा।'

चोमस्की मौजूदा समय में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बुद्धिजीवियों में से सबसे अग्रणीय वामपंथी बुद्धिजीवी हैं। यह आश्चर्य की बात है कि जब इस तरह के एक महान व्यक्तित्व ने कूडनकुलम संघर्ष के लिए समर्थन व्यक्त किया है, भारत में वामपंथी अभी भी परमाणु ऊर्जा के खतरों पर अपने रूख के बारे में उलझन में है।- कायकर्ता तथा लेखक **'सिविक चन्द्रन'**।

चोमस्की का यह समर्थन कूडानकुलम मुद्दों पर परमाणु विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से जानी पहचानी वेबसाइट www.countercurrents.org पर अद्भुत तरीके से चलाये गये अभियान की कोशिशों का हिस्सा है। यह वेबसाइट कूडनकुलम संघर्ष के समर्थन में जाने पहचाने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हस्तियों के बयानों को पोस्टर के रूप उनकी फोटो के साथ 11 अक्टूबार के बाद से रोज प्रकाशित कर रही है।

माइरिड मेगुआर, 1976 की नोबल शांति पुरस्कार विजेता तथा आयरिश शांति कार्यकर्ता, ने भी कूडनकुलम संघर्ष के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष दुनिया के लिए एक प्रेरणा है उन्होंने कहा कि यह संघर्ष दुनिया के लिए एक प्रेरणा है उन्होंने यह भी कहा मैं कूडनकुलम के साहसी लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती हूं क्योंकि वह अपने इलाकों में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयत्र का अहिंसक तरीके से प्रतिरोध कर रहे है। गांव के साहसी पुरुष और महिलायें जो अपने बच्चो के जीवन की रक्षा के लिए तथा मछुआरों सभी की आजीविका तथा अपने पर्यावरण के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं।

हम आप सभी का समर्थन करते हैं, बहादुर बने रहिये, चुप मत रहिये आप इस संकट से बाहर आ जायेंगे.. अपने काम से आप दुनिया भर में हम जैसे लोगो के लिए प्रेरणा बन गये हैं हम सच्चे अर्थों में आपके साथ हैं शांति।

इंटरनेट पर यह अभियान पोस्टरों के द्वारा केरल के मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन के साथ शुरू हुआ जिन्होंने कहा 'हमें इस परमाणु बम की जरूरत नहीं है केन्द्रीय सरकार को इस संयंत्र से संबंधित सारी गतिविधियों तत्काल रोकना चाहिए। केरल सरकार को

तुरंत जागना चाहिए और लोगो पर आये इस खतरे पर समझदारी से काम करना चाहिए।

जबकि परमाणु ऊर्जा पर अच्युतानंदन के इस रूख पर बहस की जा रही है, कुछ दूसरे लोगों ने इस अभियान के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है: कूडनकुलम की गरीब जनता वही कर रही है जो कोई भी अपनी जिंदगी की तथा अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए करेगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार जो परमाणु लॉबी का एक हिस्सा बन गई है, वह इसे समझ नहीं सकती। उन्हें चेरनोबिल और फुकुशिमा के व्यापक सबकों से सीखना चाहिए- **बिनोय विसवार्म**, केरल के पूर्व मंत्री और भाकपा नेता।

हम पूरी तरह से कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ साहसी संघर्ष का समर्थन करते हैं। डेनमार्क में परामणु ऊर्जा के खिलाफ प्रतिरोध मजबूत तथा अच्छी तरह से संगठित था और आज डेनमार्क परमाणु ऊर्जा से मुक्त है। **क्रिसटियन जुहल**- संसद सदस्य तथा प्रवक्ता, द रेड ग्रीन एलायंस, डेनमार्क।

कूडनकुलम परमाणु संयंत्र फुकुशिमा बनने के जैसा है। यह तमिलों, सिहली और भारतीयों के नरसंहार होने का इंतजार जैसा है। कूडनकुलम से श्रीलंका की दूरी बस पत्थर फेंकने जैसी दूरी है। हम श्रीलंका के लोग, तमिल, सिंहली, तमिल बोलने वाले मुसलमान कूडनकुलम तथा इंदिताकराई के अपने भाई बहनों के साथ इसका विरोध करते हैं। -**सिरीतंगा जयसूर्या** राष्ट्रपति के पूर्व उम्मीदवार, महासचिव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी श्री लंका।

हम सहमत हैं कि विकास के लिए बिजली की जरूरत है। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि हमने ऊर्जा के उत्पादन के लिए सभी सुरक्षित विकल्पों का इस्तेमाल किया है, इससे पहले की हम परमाणु ऊर्जा के बारे में सोचे। यह सवाल अपने आप में बहुत संदेहों की तरह ले जाता है। -**ऐनी राजा**, राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य, भाकपा।

लालची परमाणु लॉबी की शक्ति को तोड़ने के लिए जनदबाव के जरूरत है। कूडनकुलम महत्वपूर्ण संघर्ष है यूरोप में ट्रेड यूनियन तथा परामणु विरोधी आंदोलन के भीतर आपके संघर्ष का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं अपनी अधिकतम कोशिश करूंगा। - प्रख्यात राजनीतिज्ञ **पाल मर्फी**, आयरलैंड की सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से यूरोपियन संसद के सदस्य हैं।

सोशलिस्ट अलटरनेटिव (एसएवी) जर्मनी, कूडनकुलम के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर राज्य के दमन तथा आतंक की निन्दा करती है। हम पुलिस बल की तत्काल वापसी की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार परमाणु विरोधी आंदोलन की समझदार आवाज पर ध्यान दे तथा इस हत्यारी परियोजना को जो कि लोगों को वनस्पति और जीवों, कमजोर पर्यावरण अन्य प्रजातियों को खतरे में डाल रही है, पर तुरंत रोक लगाये। -**लूसी रेडलर**, सोशलिस्ट अलटरनेटिव (एस ए वी) जर्मनी की प्रवक्ता।

प्रदर्शनकारियों पर क्रूर व्यवहार को सरकार तत्काल रोके और बिना किसी देरी के इस संयंत्र को बंद करे। अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए निवेश को मोड़ा जाना चाहिए। सारे विकास को सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए नहीं बल्कि जनकेन्द्रित होना चाहिए। तमिल एकजुटता अभियान कूडनकुलम के परमाणु विरोधी संघर्ष का समर्थन जारी रखेगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके समर्थन अपना योगदान देता रहेगा। - **टीयूसेनन**, तमिल एकजुटता अभियान का अन्तर्राष्ट्रीय समन्वयक।

मैं कूडनकुलम के लोगों तथा जहां कही भी परमाणु रियक्टरों के खिलाफ विरोध हो रहा है उनके साथ एकजुटता व्यक्त करती हूं। दुनिया में इसकी जरूरत नहीं है। हम इसके लम्बी अवधि के खतरों को नहीं समझते और सभी नये प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। -**मल्लिका साराभाई**, भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगना और सामाजिक कार्यकर्ता।

परमाणु शक्ति मानवता के खिलाफ है। मनुष्य अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि वह परमाणु शक्ति को संभाल सकें। स्रोत के स्तर पर परमाणु ऊर्जा, परमाणु हथियार से अलग नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का परमाणु हथियार तैयार करने का गुप्त एजेंडा है। परमाणु शक्ति को न कहो। - **कविनगर थमराई**

कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम डालेगा। इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र के मुछआरों समुदायों की आजीविका का बड़े

पैमाने पर नुकसान होगा। परमाणु दुर्घटना की लम्बी अवधि के जोखिम अप्रत्याशित हैं। -**डॉ. विनायक सेन**, सदस्य स्वास्थ्य पर योजना आयोग की संचालन समिति।

आपदा प्रबंधन योजना बिना कूडनकुलम या कोई भी परमाणु रिएक्टर में आपदा के लिए खुला निमंत्रण है यह एक निश्चित जोखिम है। एक परमाणु रिएक्टर संभवतः एक परमाणु बत से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि 1 हजार मेगावाट रिएक्टर नागासाकी में गिराये गये 200 परमाणु बमों के बराबर विकिरण की क्षमता रखता है। -**डॉ. एम.पी. परमेश्वरन**,

परमाणु इंजीनियर, के एसएसपी कूडनकुलम में परमाणु पागलपन बंद करो, ग्रह की रक्षा करो। **-आनंद पटवर्द्धन**

इदिंतकराई के जो गांव वाले कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विरोध में लड़ रहे हैं उनके साथ मैं अपनी पूरी एकजुटता के साथ खड़ी हूं। मार्च 2011 में जब फुकूशिमा रिएक्टर भूकंप के द्वारा क्षतिग्रस्त हुआ तब मैं जापान में थी। आपदा के बाद लगभग हर देश जो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है उन्होंने ऐलान किया कि वह अपनी परमाणु नीति बदल देंगे, सिवाय भारत के। **-अरूंधति राय लेखिका**

कूडनकुलम आंदोलन निर्णायक दौर में

कूडनकुलम बेशक राष्ट्रीय मीडिया की सुर्ख़ियों से उतर गया हो, लेकिन ज़मीन पर भारी दमन के बावजूद विरोध जारी है. इडिंतकराई और आस-पास के गाँव प्रतिरोश का केंद्र बने हुए हैं और यह लड़ाई राजनीतिक, कानूनी और आंदोलन के तीनों स्तरों पर लड़ी जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट में कूडनकुलम परमाणु प्लांट को लेकर केस की सुनवाई जारी है और आंदोलन की तरफ से प्लांट की सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभावों, आजीविका पर खतरा और दुर्घटना की दशा मंए मुआवजा जैसे गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. सुरक्षा और मुआवजे के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब माँगा है.

इस बीच इस आंदोलन के क्रम में फर्जी केसों में बंद आंदोलनकारियों को रिहा करने और हज़ारों लोगों पर देशद्रोह जैसे मुकदमे दायर करने के खिलाफ मानवाधिकार संगठनों और व्यापक समाज की चिंता भी सामने आई है. आगामी 31 दिसंबर को देश भर से सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और कलाकारों का एक दल कूडनकुलम पहुँचने वाला है. स्थानीय लोगों के जुझारू संघर्ष का नए साल में जश्न मनाने और जेल में बंद लोगों तक समर्थन का सन्देश पंहुचाने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया जाएगा.

सरकार ने रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की 24 जनवरी को होने वाली दिल्ली यात्रा के दौरान परमाणु संयंत्र को शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब इस योजना को शायद आगे बढ़ाकर जनवरी में कर दिया गया है. देश के लोकतंत्र और क़ानून की धज्जियां उड़ाकर और आम जन के सरोकारों को टाक पर रखकर यह विनाशक संयत्र शुरू किया जा रहा है, जिसका चौतरफा विरोध होना चाहिए.

मध्यप्रदेश

डॉ सुनीलम की रिहाई के लिए भोपाल में दस्तक : किसान-मजदूर-आदिवासियों ने किया प्रदर्शन

कंपनियों की जागारी नहीं, मध्यप्रदेश हमारा है!
लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी!!

इस उद्घोष के साथ मध्यप्रदेश के कोने-कोन से आए किसानो, मजदूरों आदिवासियों, दलितो, स्त्री-पुरूषों ने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि वह कंपनियों की दलाली करना और प्रदेश की जनता पर जुल्म ढाना बंद करें। जन संघर्ष मोर्चा, मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित इस चेतावनी रैली में हजारों की संख्या में आम जनता 23 नवम्बर को यादगार-ए-शाहजहांनी पार्क में इकट्ठे हुए और एक रैली की शक्ल में लिली टाकीज चौराहे तक गये। रैली मे आगे-आगे जंजीरों में अपने को बांधे हुए आदिवासी महिलाऐं एवं किसान चल रहे थे। उन्होंने इसके द्वारा दर्शाया कि प्रदेश की गरीब जनता के साथ कैसा सुलूक सरकार द्वारा किया जा रहा है।

लिली टाकीज चौराहे पर आम सभा को संबोधित करते हुए, समाजवादी जन परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुनील ने प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही इन्वेस्टर्स मीट का विरोध करते हुए कहा कि प्रदेश के संसाधनों को लूटने व लुटाने को विकास कहना एक धोखा है। कंपनियों की दलाली के तहत जल-जंगल-जमीन से जुडे किसानों-मजदूरों-आदिवसियों को बेदखल किया जा रहा है और उन पर अत्याचार किये जा रहे हैं।

नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता श्री आलोक अग्रवाल ने मुलतई कांड में हुए घोर अन्याय का विरोध करते हुए कहा कि यदि एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी की मौत के लिए भीड़ के मुखिया होने के नाते डॉ. सुनीलम को उम्र कैद दी जाती है, तो 24 किसानों की हत्या के लिए सरकार के मुखिया होने के नाते दिग्विजय सिंह को 24 गुना सजा दी जानी चाहिए।

किसान संघर्ष समिति के संतोष बारस्कर ने कहा कि मुलताई में किसानों द्वारा फसल नुकसान का मुआवजा मांगना क्या गुनाह था? बड़वानी के जागृत आदिवासी दलित संगठन की आदिवासी महिला नारसी बाई ने बताया कि हमने महीनों से लंबित मनरेगा की मजदूरी मांगी, तो नेता-पुलिस ने मिलकर हमें जेल में डाल दिया। होशंगाबाद से जिला पंचायत सदस्य फागराम ने कहा कि चाहे जेल जाना पड़े, चाहे फांसी लगे, हम लड़ते जाएंगे। 'जान जावे तो जावे, हक मेरा न जावे'- का नारा उन्होंने लगाया।

भारतीय किसान संघ के नेता श्री शिवकुमार शर्मा क्काजी' ने भी इस आंदोलन को समर्थन प्रदान करते हुए कहा कि सारे राजनैतिक दल किसान-विरोधी हैं। किसान संघर्ष मिति की नेता एडवोकेट अराधना भार्गव ने पूछा कि रात को साढ़े ग्यारह बजे उनके घर से मेधा पाटकर को कौन से कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हौ? घर में कैसे धारा 144 लग सकती है? डॉ. सुनीलम ने जेल के अंदर कैदियों के साथ मारपीट को लेकर अनशन शुरू कर दिया है।

सिंगरौली, सीधी, मंडला, हरदा, खंडवा, आदि में विभिन परियोजनाओं से उजड़ने वाले गांववासियों के प्रतिनिधियों ने एलान किया कि वे अपनी जमीन नही छोडेंगे। चुटका परमाणु, बिजलीघर, हिंडाल्को, जेपी समूह, एस्सार, रिलायन्स, मोजरबेयर, महेश्वर, इंदिरा सागर, ओकारेश्वर, सरदार सरोवर बांध आदि कई परियोजनाओं के विस्थापितों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

सभा को अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के अध्यक्ष, मंडल के सदस्य डॉ. अनिल सदगोपाल, सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. प्रेम सिंह, जनांदोलनों के राष्ट्रीय समवन्य के संदीप पाण्डे, किसान मंच के विनोद सिंह, नर्मदा बचाओ आंदोलन के मंशाराम भाई, भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के अब्दुल जब्बार आदि ने भी संबोधित किया। सभा के अंत में राज्यपाल को संबोधित एक चार-सूत्री ज्ञापन भी सभी जन संगठनों की ओर से दिया गया।

इस चेतावनी रैली का आयोजन मध्यप्रदेश जन संघर्ष मोर्चा ने किया था। इससे देश भर के अनेक जन संगठनों और आंदोलनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

कटनी: बर्बर दमन व छल के बीच जारी है प्रतिरोध

मध्य प्रदेश के कटनी जिले में भूमि अधिग्रहण के विरोध में धरना दे रहे किसानों पर बर्बर पुलिसिया दमन रूकने का नाम नहीं ले रहा है. आंदोलनरत किसानों पर पुलिस ने 15 अक्टूबर की देर रात लाठीचार्ज कर खदेडने की कोशिश की. वहीं बुजबुजा व डोकरिया गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ वेलस्पन एनर्जी लिमिटेड 20 ऐसे किसानों के शपथ पत्र के आधार जमीन लेने का दावा कर रही है, जो

करीब 50 किसान खेत में चिता बनाकर उस पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जमीन ही उनके जीने खाने का जरिया है और अगर जबरन इनसे जमीन छीनी गई तो ये अपनी जान दे देंगे।

इस अधिग्रहण से 230 किसान परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। किसान अपने तरीके से चिता सत्याग्रह कर जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। इन दोनों गांव के कई किसान शपथ पत्र देकर आत्महत्या करने की पहले ही चेतावनी दे चुके हैं।

15 अक्टूबर को उसकी लाश के साथ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और सुनिया बाई की लाश कब्जे में लेकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने लगभग 50 आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया। इन में से 11 किसानों को 15 अक्टूबर की देर रात जबलपुर केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया है। वहीं बुजबुजा व डोकरिया गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है।

गांववालों का आरोप है कि एसडीएम और थानेदार ने सुनिया और उसके पति को धमकी दी थी कि जमीन खाली कर दो नहीं तो बुलडोजर चलवा देंगे।

ज्ञात रहे की वेलस्पन एनर्जी लिमिटेड नाम की निजी कंपनी कटनी में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1800 मेगावॉट का पावर प्लांट लगा रही है। इसके लिए कंपनी को 1300 एकड़ जमीन की जरूरत है। कंपनी को अब तक 800 एकड़ जमीन मिल चुकी है। जिसमें से 264 एकड़ जमीन सरकार ने दी है और 539 एकड़ किसानों से ली गई है। अभी कंपनी को 500 एकड़ और जमीन की जरूरत है।

मप्र में किसानों पर हुआ था एके- 47 का इस्तेमाल!

भोपाल(साभार:पर्दाफाश) पुलिस आधुनिक हथियार एके 47 का इस्तेमाल अमूमन आतंकवादियों व देश विरोधी ताकतों के खिलाफ करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में पुलिस आंदोलनरत किसानों पर इस हथियार का इस्तेमाल कर रही है। राज्य मानवाधिकार आयोग की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

जांच रिपोर्ट रायसेन जिले के बरेली में किसानों पर हुई गोलीबारी को लेकर सामने आई है। ज्ञात हो कि बरेली में विगत सात मई को किसानों के प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी की घटना में एक किसान हरि सिंह की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। बरेली में किसान बारदाना के अभाव पर रोष प्रकट कर रहे थे। विवाद बढ़ने व आगजनी होने पर पुलिस ने गोलीबारी की थी। किसानों पर गोली चलाने का मामला सामने आने पर राज्य मानवाधिकार ने इसकी जांच कराई जिसकी रिपोर्ट पिछले दिनों सामने आई है।

इस रिपोर्ट में प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल तो उठाए ही गए हैं, साथ ही कहा गया है कि पुलिस ने एके- 47और 9एमएम की पिस्तौल का भी इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। जांच रिपोर्ट के आधार पर मानवाधिकार आयोग ने रायसेन के कलेक्टर मोहनलाल मीणा, पुलिस अधीक्षक आई.पी. कुलश्रेष्ठ और बरेली के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनिल तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)

एस.आर. सरयाम, तहसीलदार एस.एल. सोलंकी और थाना प्रभारी एस.पी. बोहित को प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों के हनन का दोषी पाया गया है।

आयोग ने इन अफसरों को 21 दिसम्बर को आयोग की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। किसानों पर एके- 47का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार खुद को किसान हितैषी होने का दावा करती है, मगर वह किसानों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है, यह बात मानवाधिकार आयोग की जांच में सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष ने संवाददाताओं से कहा है कि बरेली में किसानों पर एके- 47राइफल से गोली चलाई जाती है, कटनी में उद्योग के लिए किसानें की जमीन अधिग्रहीत की जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, विरोध करने पर लाठी-डंडे बरसाए जाते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। इन हालात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।

मुलताई गोलीकाण्ड :

डा. सुनीलम और अन्यों को हुई उम्रकैद, फैसलों की समालोचना

डा. सुनीलम और अन्यों को जो सजा वर्ष 1998 के मुलताई पुलिस फाइरिंग केस में दी गई है, जिसमें 24 किसानों की पुलिस की गोली से जान चली गई थी. पुलिस ने डा. सुनीलम और अन्य के खिलाफ 66 मामले दर्ज किए, जिनमें से डा. सुनीलम पर 18 मामलों में मुकदमे चल रहे है और तीन मामलों में उन्हें दोषी करार देते हुए अदालत ने केस क्रमांक 277, 278 और 280 में 18 अक्टूबर, 2012 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन फैसलों पर कविता श्रीवास्तव की समालोचना;

पृष्ठभूमिः क्या हुआ था?

मध्य प्रदेश में शहडोल डिविजन के बैतूल जिले की मुलताई तहसील में 12 जनवरी, 1998 को पुलिस फाइरिंग में 24 किसानों की जान चली गई थी, 150 लोग घायल हो गए थे। यह तीसरा साल था जब किसानों की फसल बरबाद हो रही थी, ये किसान मुआवजे के तौर पर राज्य सरकार से 5000 रुपए की मांग कर रहे थे, जबकि मौजूदा दिग्विजय सिंह सरकार उन्हें मात्र 400 रुपए ही देने पर राजी थी। इस गोलीबारी में फायर ब्रिगेड वाहन का एक चालक मारा गया और पुलिस के अनुसार पचास से अधिक पुलिस वाले घायल हो गए थे। पुलिस ने डा. सुनीलम और अन्य के खिलाफ 66 मामले दर्ज किए, जिनमें से डा. सुनीलम पर 18 मामलों में मुकदमे चल रहे है और तीन मामलों में उन्हें दोषी करार देते हुए अदालत ने केस क्रमांक 277, 278 और 280 में 18 अक्टूबर, 2012 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डा. सुनीलम कौन हैं, और यह एफआईआर क्या हैं? और उन्हें सजा क्यों दी गई है? यहां यह तथ्य संक्षेप में दिए गए हैं।

डा. सुनीलम कौन हैं?

डा. सुनीलम का जन्म 27 जुलाई, 1961 को भोपाल में सुनील मिश्रा के तौर पर हुआ था। ग्वालियर के केंद्रीय विद्यालय से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर गवर्नमेंट साईंस कॉलेज ग्वालियर से स्नातक की पढ़ाई की इसके बाद एम.आई.टी.एस. ग्वालियर से एप्लाईड फिजिक्स में एम.एस.सी. किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बायो मेडिकल इलेक्टोनिक्स में पीएच.डी की। वे सी.आई.एस.आर. के साथ रिसर्च एसोसिएट भी रहे। ऑस्टेलिया, मेलबॉर्न के बर्न इंस्टीट्यूट से लौटने के बाद वे पूरी तरह राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए।

एक सोशल एक्टिविस्ट, राजनितिज्ञ और लेखक डा. सुनीलम ने दो पुस्तकों के प्रकाशक और सह लेखक की भूमिका निभाई। प्रो. विनोद प्रसाद सिंह के साथ मिलकर हिन्दी में लिखी पुस्तक ''समाजवादी आंदोलन के दस्तावेज'' में उन्होंने सामाजिक आंदोलनों से जुड़े तमाम पेपरों और तथ्यों को जमा किया। अंग्रेजी में उन्होंने श्री सुरेंद्र मोहन, स्वर्गीय श्री

हरि देव शर्मा और प्रो. वी.पी. सिंह के साथ मिलकर एक पुस्तक तैयार की जिसका शीर्षक है "इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी इन इंडिया"। सुनीलम ने अर्वेयम पर भी एक पुस्तक कम्पाइल की जो राम मनोहर लोहिया का उत्तर पूर्वी सिपाही था। सुनीलम ने लगातार राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में लेख लिखे। डा. सुनीलम दो बार विधायक रहे, पहली बार एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुलताई से दिसंबर 1998 से दिसंबर 2003 के बीच और दूसरी बार समाजवादी पार्टी से दिसंबर 2003 से दिसंबर 2008 तक। वह दिसंबर 2008 में चुनाव हार गए थे।

मामला क्या है?

जजमेंट 277/2006 : उस समय के एक इंचार्ज एस. एन. कटारे की जान लेने की कोशिश और उनका हथियार छीनकर उसे घायल कर देने का है । कुल गवाह- 16जिनमें 13 पुलिसवाले, एक डाक्टर और दो स्वतंत्र। डा. सुनीलम और दो अन्य को 148 के तहत एक साल की सजा, 152 के तहत एक साल, 333/149 के तहत पांच साल और 1000 रुपए का जुर्माना और 307/149 के तहत सात साल और 1000 रुपए के जुर्माने की सजा दी गई है।

जजमेंट 278/2006 : जान लेने की कोशिश और पुलिस मैन सरनाम सिंह को घायल करना। कुल गवाह 14 जिनमें 8 पुलिसवाले, 3 डॉक्टर और 3 स्वतंत्र। डा. सुनीलम और दो अन्य को 148 के तहत एक साल, 332/149 के तहत एक साल और 500 रुपए का जुर्माना और 307/149 के तहत सात साल की सजा और 1000 रुपए के जुमाने की सजा।

जजमेंट 280/2006 : फायर ब्रिगेड के चालक धीर सिंह की हत्या। मामले के कुल गवाह- 30जिनमें 12 पुलिवाले, 3 डॉक्टर, 10 प्रशासन और 5 स्वतंत्र। सुनीलम और सात अन्य को 148 के तहत एक साल, 152 के तहत एक साल, 323/149 के तहत एक साल और 1000 रुपए जुर्माना और 302/149 के तहत आजीवन और 5000 रुपए जुर्माना और सैक्सन 3 के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहंचाने तहत 50000 रुपए का जुर्माना।

न्याय का यह कैसा मजाक है कि जहां पुलिस और प्रशासन जो पहले से तय करके पूरी ताकत के साथ किसानों के आंदोलन को कुचलने और उन्हें मारने के लिए आए थे, जबकि किसानों का यह आंदोलन पूरी शांति के साथ करीब एक सप्ताह से जारी था उन्हें इस अपराध के लिए दोषी नहीं माना गया और उन्हे छोड़ दिया गया जबकि डा. सुनीलम जो शांति और अहिंसा में विश्वास रखने वाले किसानों का नेतृत्व कर रहे थे उन्हें सजा दे दी गई। ध्यान से देखने से यह बात साफ हो जाती है कि जिन तीन मामलों में डा. सुनीलम और उनके साथियों को सजा सुनाई गई है वह पुलिस ओर प्रशासन की मिलीभगत का परिणाम है जिसे बहुत ही चालाकी के साथ तैयार किया गया है ताकि उनके किये गुनाह छिप जाएं और उनपर कोई उंगली न उठा सके। यह दुर्भाग्य ही है कि यह फैसला पुलिस बायसड होने की कहानी कहता है।

12 जनवारी, 1998 की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर दो पक्ष हैं

1. आंदोलकारी किसानो का।

2. पुलिस और प्रशासन का।

किसानों का संक्षेप में बयान इस प्रकार हैः यह किसानों का शांतिपूर्वक और कानूनी तौर पर एक़ समूह था जो तहसील परिसर में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा के अधिकार के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहा था और एक जनसभा का आयोजन किया गया था। जब वे एकत्र हुए तो वे एक कानूनी मांग कर रहे थे और उस समय उस स्थान के लिए किसी प्रकार की पांबंदी का आदेश नहीं था। प्रदर्शन द्वारा फसल बरबाद होने की वजह से मुआवजे की मांग की जा रही थी जो तूफान से बरबाद हो गई थी। इतना ही नहीं 9 जनवरी, 1998 को कलेक्टर साहब खुद उनकी मीटिंग में आए थे और यह संकेत दिए थे कि प्रशासन के साथ सहमति बन सकती है। लेकिन 12 जनवरी, 1998 को अचानक प्रशासन के व्यवहार में बदलाव आ गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के लिए बलप्रयोग की

तैयारी कर ली गई। अचानक संविधान की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा हटा दी गई और किसानों के समूह को गैरकानूनी रूप से उनपर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई और इसके तुरंत बाद ही पुलिस ने गोली चला दी जिसका नतीजा यह हुआ कि 24 किसानों की जान चली गई।

तीनों फैसले मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि कुछ लोगों की गवाही के आधार पर यह किए गए हैं। यह सारा प्रयास पुलिस और प्रशासन को उनके द्वारा किए गए 24 किसानों की हत्या के जुर्म को धो डालने और किसान नेताओं को झूटे मामलों में उलझाने का है।

अभियोग चलाने वाले पक्ष का केस और निम्न बिन्दुंओं पर फैसले-

- किसानों का समूह गैरकानूनी था और यह डा. सुनीलम की अगुवाई में हिंसक हो गया।
- किसानों की हिंसा के परिणामस्वरूप फायरब्रिगेड के चालक धीर सिंह की मौत हो गई, सरनाम सिंह और थाना प्रभारी एस.एन. कटारे पर जानलेवा हमला करके घायल कर दिया गया।
- डा. सुनीलम इस हिंसा के लिए केवल एक लीडर होने के नाते ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जानकारी में हिंसात्मक गतिविधियों में भी भाग लिया और पूरे होश में हत्या व हत्या करने का प्रयास किया।
- पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया जाना एकदम ठीक है क्योंकि किसानों का समूह गैरकानूनी और हिंसक हो गया था और कानून व्यवस्था लागू करने के लिए यह जरूरी था।

यह तीनों फैसले पुलिस और प्रशासन द्वारा पेश किए गए गवाहों और सबूतों पर आधारित हैं, जबकि पुलिस के रोजनामचे से घटना वाले दिन 12 जनवरी, 1998 को लेकर अनेक विरोधाभास सामने आते हैं । इस पुलिस डायरी को जज द्वारा जजमेंट नंबर 280/2006 में तो कोट किया गया लेकिन जजमेंट नं 277/2006 और 278/2006 में नहीं। पुलिस डायरी को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि पुलिस बल का जमा होना सुबह सवेरे से ही शुरू हो गया था किसानों द्वारा आंदोलन के लिए जमा होने के कुछ ही देर बाद हिंसा भड़क उठी लेकिन किसानों द्वारा किया गया विरोध बहुत कमजोर था। रोजनामचा धारा 144 लगाए जाने , लाठी चार्ज किए जाने, और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़े जाने और भीड़ की तरफ से कोई हिंसा न शुरू किए जाने के संबंध में भी कई तथ्यों को उजागर करता हैं। संक्षेप में कहें तो पुलिस के रोजनामचे से खुद यह बात पता चल रही है कि धारा 144 लगाने की योजना पहले ही बनाई जा चुकी थी और इसके जरिए से किसानों के आंदोलन को गैरकानूनी करार दिया जाना था। इस कड़ी का सीधा संबंध मामले से है लेकिन फैसला सुनाते समय इसे नजरअंदाज किया गया और पुलिस प्रशासन व सरकार द्वारा तैयार किए गए केस के आधार पर फैसला किया गया ताकि 24 किसानों की हत्या का दोष ढका जा सके और इसे न्यायोचित ठहराया जा सके। न्यायधीश द्वारा इस मामले में तथ्यों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और झूठे तथ्यों को ही ठीक मानते हुए फैसला सुनाया।

पुलिस के 12 जनवरी, 1998 के रोजनामचे के अनुसार जिसे फैसला नं. 280/2006 में कोट किया गया है पुलिस का क्रियाकलाप सुबह 7.25 बजे शुरू हों गया था जब विभिन्न पुलिस स्टेशनों के एसएचओ द्वारा आपस में बातचीत शुरू हुई कि किस समय तक किसान जमा नहीं होते हैं। सुबह 9.03 पर सभी थानों से पुलिस बल पूरे निर्देशों के साथ मुलताई तहसील के लिए निकला और किसानों के जमा होने के पहले ही तहसील परिसर में तैनात हो गया। यहां सवाल यह उठता है कि यह प्रॉपर निर्देश क्या हैं? इसकी पहचान होना जरूरी है।

रोजनामचा के पहले संदर्भ के अनुसार किसानों के समूह द्वारा किसी तथाकथित हिंसा किए जाने की संभावना की सूचना 11.32 बजे 12 जनवरी, 1998 को जैसा कि अशोक गंघोरिया ने कहा कि उन्हें एक मुखबिर द्वार सूचना प्राप्त हुई कि किसान संघर्ष समिति का इरादा तहसील का घेराव करके उसे बंद करने का है, समिति के सदस्य अवैध हथियार और पत्थर अपने बैग और जेबों में छिपाकर लाए हैं, ये

लोग टैक्टर टरॉली द्वारा तहसील परिसर में तोड़फोड़ करने का इरादा रखते हैं। मुखबिर की यह सूचना किसानों के इस नारे पर आधारित थी " मरेंगे या मारेंगे, हमारा हक हमारा है", इस प्रकार देखा जा सकता है कि किसा प्रकार एक नारे के आधार पर मुखबिर ने प्रदर्शनकारियों के पास अवैद्य हथियार होने और पत्थर छिपाकर लाने की बात गढ़ ली जबकि प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान अक्सर ऐसे नारे सुनाई देते हैं इससे प्रदर्शन के हिंसक होने का कैसे पता चलता हैं।

यहां यह बात गौर करने वाली है कि पुलिस के रोजनामचे से यह बात तो साफ है कि 11.35 बजे तक उस दिन किसानों के आंदोलन में कोई हिसंक गतिविधि नहीं हुई। रोचनामचे के अनुसार धारा 144 को 11.35 बजे लागू किया गया ,बिना किसी हिंसा के किसान 11.40 बजे तक अपनी मांगो को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। रोजनामचे के अनुसार धारा 144 को लागू किए जाने की घोषणा 11.45 बजे की गई। इसका साफ मतलब है कि धारा 144 को बिना किसी हिंसक गतिविधि के शुरू हुए ही लागू कर दिया गया जिसका मकसद किसानों के एकत्र समूह को गैरकानूनी करार देना था। रोजनामचा के अनुसार आंसू गैस और लाठीचार्ज किए जाने का आदेश 12.55 बजे दिया गया यहां यह कहा गया कि लेकिन इसका भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ जैसे यह उन्हें हिंसक होने के लिए किया गया हो। रोजनामचे के अनुसार किसानों की ओर से पहला पत्थर 12.56 मिनट पर फेका गया जबकि पहले ही लाठी चार्ज और आंसू गैस छोड़े जा चुके थे। यह पत्थर पुलिस की जबरन बल प्रयोग की कार्यवाही की प्रतिक्रिया के तौर पर फेका गया हो सकता है। रोजनमाचे के अनुसार भीड़ द्वारा की गई हिंसक गतिविधियों का ब्यौरा 1.05 बजे के बाद दर्ज किया गया, जिसमें डाक्टर सुनीलम पर लगाए गए तथाकथित हिंसा के कार्य भी शामिल है जिनके लिए उन्हें सजा सुनाई गई है।

तीनों फैसलों पर गौर करने से पता चलता है कि डा. सुनीलम को सुपर मैन या स्पाइडर मैन की तरह माना गया है, जो 9 मिनट के एक छोटे से अंतराल में 12.56 से 1.05 के बीच पुलिस की आंसू गैस की कार्यवाही को परास्त करते हुए परिसर में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के बीच परिसर में प्रवेश करते हैं और एक पुलिस अधिकारी से उसकी रायफल छीनकर उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं और उसे घायल करने के बाद दूसरे पूलिस अधिकारी पर हमला करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वह जम्प करते हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर पहुंच जाते हैं और इसके चालक के सर पर पत्थर मार मार कर उसे मार डालते हैं। यह सब कितना असंभव है क्या इस तरह की घटना का कोई गवाह संभव है?

एसडीएम ने कहा कि 1.15 बजे गोली चलाने के आदेश दिए गए जो इस केस से जुड़े पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई सूचना की जांच के बाद ही दिए गए, जिसमें हिंसक गतिविधियों का जिक्र था। एसडीएम द्वारा साफ तौर पर डॉटेड आडर पर हस्ताक्षर किए गए। यह दुर्भाग्य ही है कि इस फैसले द्वारा पुलिस के दोषपूर्ण केस को स्वीकार कर लिया गया।

इस आधार पर यह फैसला अवश्य पढ़ा जाना चाहिए और इसका विश्लेषण होना चाहिए।

हमारी राय है कि यह फैसला पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है और संविधान द्वारा दिए गए अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों को कानून के द्वारा अवैध करार देने की कोशिश है। यह पुलिस के अपराध को न्यायोचित ठहराए जाने के निए भी एक यंत्र बना है। इस दोषपूर्ण फैसले में अनेक पुलिस वालों और प्रशासनिक अधिकारियों की गवाही से संबंधित विरोधाभासो को नजरअंदाज कर दिया गया है, जो महत्वपूर्ण हैं और जिन्हे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहा तक कि फायर ब्रिगेड के चालक धीर सिंह की मौत के कारणों को लेकर भी डाक्टरों में एक राय नहीं है।

बन्दूक की नोक पर विकास नहीं होगा....

4 नवम्बर की रात को मेधा पाटकर सहित 23 अन्य की छिंदवाडा में हुई गिरफ्तारी से स्पष्ट हुआ है कि 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट' के सुन्हेरे सपनों के पीछे बन्दूक के नोक पर आम जन का विस्थापन और गैर् कानूनी कॉर्पोरेट लूट का विरोध करने वाले किसानों और सामाजिक कार्यकर्ता को जेल में डालने का सिल-सिला अब तेज होगा. मध्य प्रदेश जन संघर्ष मोर्चा ने इस पुलिसिया दमन का विरोध करते हुये विज्ञप्ति जारी की है, जिसे यहाँ पर प्रकाशित किया जा रहा है !

पेंच व्यपवर्तन परियोजना से 31 गाँव और 56000 से ज्यादा किसान परिवारों को अनियमित रूप से और बिना पुनर्वास उजाड़े जाने, इस परियोजना का पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति न होना , अदानी पॉवर परियोजना के लिए विस्थापन के विरोध में 2004 से शांतिपूर्ण आन्दोलन चल रहा है. आन्दोलन के नेत्रित्व कर डा.सुनीलम के गिरफ्तारी के बाद परियोजना प्रभावित क्षेत्र में भरी पुलिस बल (1800 से ज्यादा का फोर्स) पहुंचे गया जिस ने 4 नवम्बर से जबरदस्ती किसानों को खदेड़ने कि गोशन कि. इस खबर पर सुश्री मेधा पाटकर , बरगी बाँध विस्थापित सं, नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कार्यकर्ता छिंदवाडा पहुंचे . 3 नवम्बर की रात को ही आन्दोलन में सक्रिय वकील, सुश्री आराधना भार्गव को गिरफ्तार किया गया. मेधा पाटकर और अन्य को प्रभावित क्षेत्र पहुँचने से पुलिस द्वारा रोका गया और उन्हें छिंदवाडा में ही गिरफ्तार किया गया और रात को जैल भेजा गया. मेधा बेहन ने कल रात से ही जेल में भूख हडताल चालू कर दिया था.

जन संघर्ष मोर्चा से जुड़े जन संगठन म.प्र शासन द्वारा इस तरह पुलिस के बल पर, सब कानून-नियम को ताक पर रख, कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए प्रदेश के किसान और आमजन का बलि चढाने का पुरजोर निंदा करता है. पेंच परियोजना में न सिर्फ विस्थापित होने वाले किसानों का पनार्वास कोई ठिकाना है, बल्कि इस परियोजना का पर्यावर्णीय अनुमति तक नहीं होने के कारण, गैर कानूनी भी है.

जन संघर्ष मोर्चा मांग करता है कि कॉर्पोरेट घरानो के मुनाफे के किसानों और आमजन कि बलि, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का लूट, पुलिस के बल पर करवाना बंद करें. छिंदवाड़ा के परियोजनाएं में जबरन

विस्थापन तत्काल रोक ,पारदर्शी प्रक्रिया से कानूनी प्रावधानों के अनुरूप समीक्षा करें, गिरफ्तार व्यक्तिओं को तत्काल रिहा करें , तथा पुलिस बल को तत्काल पेंच प्रभावित क्षेत्र से हटाया जाये.

अलोक अग्रवाल (नर्मदा बचाओ आन्दोलन) ,जब्बार भाई (भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन) अनुराग मोदी (श्रमिक आदिवासी संगठन) ,माधुरी (जागृत आदिवासी दलित संगठन), रिन्चिन (म.प्र. महिला मंच)

डॉक्टर सुनीलम की सजा और दयामनी बारला की गिरफ्तारी पर संयुक्त वक्तव्य

पीयूसीएल, सोशलिस्ट फ्रंट, इंसाफ, वाटर राइट कैंपेन, आर जे डी, डी एन ए मुंबई, इंडियन सोशलिस्ट जैसे संगठनों और चितरंजन सिंह, अनिल चौधरी, विजय प्रताप, विल डिकोस्टा, किरन शाहीन, असित दास, रजनी कांत मुदगल, संजय कनोजिया, गंगाधर पाटिल, जैसे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने डॉ सुनीलम और दयामनी बारला की रिहाई के लिए यह साझा अपील जारी की है.

साथियों,

हम सभी डॉक्टर सुनीलम की सजा और दयामनी बारला की गिरफ्तारी पर दुख प्रकट करते हुए इस अपील पर हस्तारक्षर कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि सरकार द्वारा लगातार जन आंदोलनों को दबाया जा रहा है और कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारें लोकतांत्रिक होने के झूठे दावों को भी छोड़ चुकी हैं। गुजरते हुए हर दिन के साथ सभी ईमानदारी से चल रहे किसान, मजदूर, आदिवासी, और अन्य प्रकार के तमाम आंदोलनों, सामाजिक संगठनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आंदोलन से जुड़े लोग भुखमरी की कगार पर खड़े हुए हैं, विस्थापन का दंश सह रहे हैं और बड़े पैमाने पर आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा जन आंदोलनों पर बनाया जा रहा यह दबाव उनके औपनिवेशिक आकाओं और बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर बनाया जा रहा है। बिनायक सेन और सीमा आजाद को अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इनको दलित आंदोलनों को समर्थन देने का दोषी पाया गया था। पॉस्को और कुडनकुलम का विरोध कर रहे हजारों आंदोलकारियों पर झूठे मामले थोप दिए गए हैं। यह सूची बहुत लंबी है और इसमें सबसे ताजा मामला डॉक्टर सुनीलम और दयामनी बारला का है।

मध्य प्रदेश के जनवादी राजनीतिज्ञ डॉक्टर सुनीलम को सजा दिया जाना गहरी चिंता का विषय और निराशाजनक है। यह न्याय तंत्र को गुमराह कर जनहित के लिए उठने वाली आवाज को खामोश करने और क्षमतावानों के हित साधने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। डॉक्टर सुनीलम देश में भ्रष्टाचार के विरोध में चल रहे आंदोलन और डब्ल्यू एच ओ के खिलाफ चल रहे आंदोलन में इंडियन पीपुल्स मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं। पूर्व विधायक और किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। देश के किसान आंदोलन के इतिहास में 12 जनवरी, 1998 एक काला दिवस था क्योंकि इसी दिन दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने इस शांतिपूर्वक चल रहे किसान आंदोलन को पुलिस का सहरा लेते हुए जबरन कुचलने का प्रयास किया। डॉक्टर सुनीलम की पिछली जिंदगी को देखते हुए और उनके कार्यो का संज्ञान लेते हुए उन सभी नागरिकों से अपील है जो लोकतंत्र से प्रेम करते हैं और नागरिकों की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं कि वे डॉक्टर सुनीलम का समर्थन करें।

दयामनी बारला मामले में जो एक पत्रकार से आदिवासी आंदोलनकारी बनी है, आदिवासी विस्थपन के विरोध में और उनके अधिकारों के लिए झारखंड में लड़ाई लड़ रही हैं। आदिवासी महिला आंदोलकारी के रूप में वे लोक हित का कार्य कर रही हैं। उन्हें रांची की एक अदालत द्वारा 18 अक्टूबर, 2012 को जमानत मिली थी। इसके बावजूद उन्हें फिर से बंदी बना लिया गया है, बारला के जो साथी उनसे मिलकर आए हैं उन्होंने बताया कि उन्हें नगडी मामले में बंदी बनाया गया था और छोड़ा नही जा सकता। उन्हे 16 अक्टूबर , 2012 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इससे पहले

उन्होंने 25 अप्रैल, 2006 के एक मामले में अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह पहला अवसर नहीं है जबकि उन्हे पीड़ित किया जा रहा है, बल्कि सरकार उन्हें निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। हाल ही में उनकी गिरफ्तारी उनके द्वारा चलाए जा रहे शांतिपूर्वक आंदोलन की सफलता के कारण हुई है। यह आंदोलन रांची से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित नगडी गांव में उपजाउ भूमि को अधिग्रहण से बचाने के विरोध में चलाया जा रहा है जो पूरी तरह शांतिपूर्ण है और कभी भी पुलिस को गोली चलाने की नौबत नहीं आई है। इस स्थान पर सरकार आई आई एम, आई आई टी और नेशनल लॉ कॉलेज बनाना चाहती है। सरकार किसी भी कीमत पर और किसी भी तरह इस आंदोलन को समाप्त करने की पूरी कोशश कर रही है।

यह केवल डॉक्टर सुनीलम और दयामनी बारला का मामला नहीं है। आंदोलनकारियों का उत्पीड़न और उनपर झूठे मामले थोपकर कानून और सत्ता का दुरूप्योग कर जन आंदोलनों को नुकसान पहुंचाना ताकि वे कमजोर पड़ सकें एक चलन सा हो गया है।

हम डॉक्टर सुनीलम और दयामनी बारला के खिलाफ इस कायरतापूर्वक कार्य और गिरफ्तारी की निंदा करते हैं और मध्य प्रदेश व झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि इन दोनों के खिलाफ लगाए गए सभी मामलों को बिना शर्त वापस लें और उन्हें तुरंत रिहा करें।

जनसंघर्ष समन्वय समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न

जनसंघर्ष समन्वय समिति की तरफ से आयोजित 'राष्ट्रीय सम्मेलन' 15 से 16दिसंबर 2012 को भारत सेवाश्रम संघ, श्रीनिवासपुरी, नयी दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में उड़ीशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड,बिहार और पश्चिम बंगाल से आये कुल 105 सहभागियों ने भाग लिया।

भारत सेवाश्रम के हाल में साथी धीरेन्द्र प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सम्मेलन की विधिवत् शुरूआत की गयी। इसके पश्चात कानपुर के साथी विजय शंकर ने एक क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किया। जनसंघर्ष समन्वय समिति संयोजक के दीपसिंह शेखावत ने सभी साथियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन के उद्देश्यों को स्पष्ट किय. जनसंघर्ष समन्वय समिति के आधार पत्र एवं संगठन के संविधान को पढ़कर सुनया गया एव कहा कि इनमें जो भ्रामक लगे या कुछ जोड़ना-घटना उचित समझे तो सुझाव अवश्य दें।

कुछ जगह पर भाषागत अस्पष्टता समझी गयी, जिसे सुधार दिया गया। कुछ शब्दों के मायने भ्रामक समझे गए, जिन्हें परिभाषित व व्याख्यायित किया गया। प्रतिनिधियों द्वारा कुछ अन्य मुद्दों को जोड़े जाने का पस्ताव रखा गया, सभी प्रस्ताव चूंकि मूल अवधारणा के पूरक के रूप में थे इसलिए उन्हें सदन द्वारा जोडे जाने का समर्थन किया।

18 संगठनों एवं 2 व्यक्तिगत सदस्यों ने जन संघर्ष समन्वय समिति की सदस्यता प्राप्त की। संगठनों द्वारा सदस्यता प्राप्त करने के बाद जन संघर्ष समन्वय समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों का निवार्चन किया गया.

इसके बाद भावी कार्ययोजना तैयार कि गई-

भूमि अधिग्रेहण के विरूद्ध अनवरत समझौताविहीन संघर्ष को रेखांकित किया जाय

संगठन का निर्माण प्रमुख रूप से इसी मुद्दे को लेकर हुआ। सम्मेलन में यह तय हुआ कि भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध देशव्यापी आंदोलन चलाया जाय। जमीन को लेकर आंदोलन किसी प्रकार की समझौता वार्ता नहीं की जाये। इस मुद्दे में एक दम स्पष्ट बात यह है कि किसी भी दिशा में भूमि का छोटा सा टुकड़ा भी किसी कीमत पर नहीं अधिग्रहण होने दिया जायेगा। एक इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं होने दिया जाये। भूमि प्रकृति का उपहार है इसका सौदा नामंजूर हैं

दमन, उत्पीड़न के विरूद्ध अभियान

यह तय हुआ कि दमन, उत्पीड़न के विरूद्ध व्यवस्थित अभियान चलने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाय। देश स्तर पर जहां भी आंदोलनकारियों का दमन उत्पीड़न हो रहा है, वहां से पूरी जानकारी प्राप्त करना। उत्पीड़न की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करना/दमन के शिकार साथियों से सम्पर्क, मुलाकात करना उनकी हर संभव मदद करना एवं उनको प्रोत्साहित करना तथा दमन-उत्पीड़न के विरूद्ध मानवाधिकार आयोग के समक्ष सारे प्रकरण प्रस्तुत करना।

राजस्थान

परमाणु सुरक्षा के मसले पर लीपापोती बंद करे सरकार

मानवाधिकार संगठन पीपुल्स युनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ (पीयूसीएल) और परमाणु निरस्त्रीकरण एवं शांति गठबंधन (सी.एन.डी.पी.) ने रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency - IAEA) के विशेष दल द्वारा की जा रही सुरक्षा जांच के संदर्भ में आज जयपुर में साझा प्रेस वार्ता आयोजित की. प्रसिद्द लेखक एवं पर्यावरणविद प्रफुल्ल बिदवई, परमाणु मामलों के जानकार वैज्ञानिक सौम्य दत्ता, परमाणु-विरोधी कार्यकर्ता पी के सुन्दरम तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने इस प्रेसवार्ता को संबोधित किया.

प्रफुल्ल बिदवई ने कहा कि रावतभाटा में आईएईए की टीम ने महत्त्वपूर्ण सुरक्षा खामियों पर सवाल उठाए हैं, खास तौर पर संयंत्र में सुरक्षा की दृष्टी से निहायत ज़रूरी डीजी सेट ना होने तथा संयंत्र के कामगारों के रेडियेशन जांच के उपकरण पुराने और नाकारा होने को लेकर. यह एक महत्वपूर्ण बात है, हालांकि अभी इस टीम की पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है. हमें इस बात की चिंता है की भारत में होने वाला अपनी तरह का यह पहला निरीक्षण परमाणु सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ठीक से विचार करे. इसमें रावतभाटा के स्थानीय मुद्दे और परमाणु सुरक्षा नियमन के स्वतंत्र नहीं होने, परमाणु ऊर्जा कार्पोरेशन की गैर-जिम्मेवारी जैसे बड़े मसले भी शामिल हैं. हम खास तौर पर निम्नलिखित पहलुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं

रावतभाटा में आईएईए की टीम रिएक्टर संख्या 4 और 5 का ही निरीक्षण कर रही है जबकि जून में रिएक्टर 5 में दुर्घटना हुई थी जिसमें 34 ठेका-श्रमिकों को घातक ट्रीशियम रिसाव के शिकार हुए थे.

परमाणु संयंत्र में काम करने वाले ठेका श्रमिक, जिन्हें कोई स्वास्थ्य सुविधा हासिल नहीं है, पूरे परमाणु उद्योग का सबसे बेबस हिस्सा हैं. परमाणु ऊर्जा कार्पोरेशन के सीनियर इन्हें रिएक्टर के असुरक्षित हिस्सों में काम करवाते हैं और विकिरण लगने पर उसे छुपाने के लिए दबाव डालते हैं, यह तथा कई स्वतंत्र स्रोतों से उजागर होता रहा है.

रावतभाटा में हमें पता चला है की इन ठेका-श्रमिकों को आईएईए की टीम का दौरा खत्म होने तक छुट्टी पर जाने या सिर्फ रात की शिफ्ट में काम करने पर बाध्य किया गया है. रावतभाटा के ये ठेका-श्रमिक लंबे अरसे से उचित मजदूरी, स्वास्थय सुविधाओं और रेडियेशन की स्वतंत्र जांच के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

सौम्य दत्ता ने बताया कि डॉ. सुरेन्द्र गाडेकर तथा डॉ. संघमित्रा गाडेकर द्वारा रावतभाटा संयत्र के निकटवर्ती गांवों में किए गए स्वास्थय सर्वे में इस पूरे इलाके में कैंसर, ल्यूकीमिया, अपाहिजपन जैसी घातक बीमारियाँ बहुतायत में पाई गईं. लेकिन इस अध्ययन पर परमाणु ऊर्जा कारपोरेशन और सरकार ने निर्मम चुप्पी साध रखी है.

भारत सरकार ने जापान की फुकुशिमा दुर्घटना के बाद अन्य देशों की तरह कोई अपने देश के रिएक्टरों में सघन व स्वतंत्र सुरक्षा जांच नहीं करवाई. इन संयंत्रों को चलाने वाले परमाणु ऊर्जा कारपोरेशन ने खुद ही जल्दीबाजी में समितियां गठित कर अपने संयंत्रों को सुरक्षित घोषित कर दिया. भारत में परमाणु सुरक्षा की निगरानी के लिए जिम्मेदार परमाणु सुरक्षा नियमन बोर्ड ने भी महज खानापूर्ति की और बहुत ही सामान्य किस्म के सुझाव दे दिए. हम आपसे अनुरोध करते हैं की भारत सरकार पर परमाणु बिजलीघरों की सुरक्षा की स्वतंत्र जांच कराने

की मांग करें

पी के सुन्दरम ने कहा कि हम आईएईए टीम से यह भी मांग करते हैं कि वह भारत में ऐसी विश्वसनीय सुरक्षा जांच के पूरा होने तक कूडनकुलम (तमिलनाडु) जैतापुर (महाराष्ट्र) ,ठी विर्डी (गुजरात) चुटका (मध्य प्रदेश) फतेहाबाद (हरियाणा) और कोवाडा (आन्ध्र प्रदेश) जैसी जगहों पर आम लोगों की मर्जी के खिलाफ लगाए जा रहे नए संयंत्रों पर रोक लगाने की अनुशंसा करे.

भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग अपने संयंत्रों से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा पर कोई सूचना सार्वजनिक नहीं करता, न ही यह अणु-बिजलीघरों के आस-पास की जनसंख्या पर होने वाले प्रभावों का कोई अध्ययन करवाता है. उदाहरण के लिए, हैदराबाद स्थित परमाणु ईंधन प्रकल्प के नजदीक अशोक नगर कालोनी में सरकारी तौर पर जमीन का पानी पीने की मनाही है, वह इतना प्रदूषित हो चुका है. लेकिन फिर भी पूरा अणु ऊर्जा विभाग इन तथ्यों को छुपाने और इनसे अनजान बने रहने की हरसंभव कोशिश करता है, जिससे आम लोगों का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है.

फुकुशिमा दुर्घटना के बाद दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं और ज़्यादातर देशों की सरकारों ने स्वतंत्र जांच करवाई है जिसके फलस्वरूप कई जगहों पर परमाणु रिएक्टर बंद किये जा चुके हैं. इस पूरे परिदृश्य में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रावतभाटा में आईएईए की टीम की यह जांच भारत में परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा पर महज लीपापोती की एक कारवाई बनाकर न रह जाए.

अवैध खनन विरोधी आंदोलन: बर्बर दमन के बीच जारी है

गुजरी 23 अक्टूबर को राजस्थान के सीकर जिले की नीम का थाना तहसील के ग्राम डाबला में जारी अवैध खनन विरोधी आंदोलन के साथियों को पाटन पुलिस ने फिर एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया. पुलिस, खनन माफिया एवं स्थानीय विधायक की मिलीभगत से आंदोलनकारियों का दमन जारी है.

ताजा घटनाक्रम में ग्राम डाबला में अवैध खनन के खिलाफ चल रहे संघर्ष के एक महतवपूर्ण साथी जय भगवन को पाटन पुलिस ने 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 25 अक्टूबर को एक फर्जी FIR 345/2012 दर्ज कि है. उल्लेखनीय है कि गत दो तीन वर्ष से अवैध खनन के खिलाफ व अपने पहाड़ को बचाने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलनरत ग्रामीण जनता पर जिला प्रशासन की ओर से बर्बर दमन किया जा रहा है।

इस घटना के विरोध में डाबला ग्राम के निवासी रोड पर जाम लगाकर बैठ गये, दो दिन तक रोड जाम रहा और सैकड़ों ट्रक रोड पर खड़े रहे. आखिर में प्रशासन को आंदोलनकारियों की मांगों को स्वीकारकरना पड़ा. आये दिन पुलिस उत्पीडन के विरोध में डाबला ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,पीयूसीएल, मुख्य सचिव इतियादी को ज्ञापन भेज कर मांग की है की पाटन थानाध्यक्ष को बर्खास्त कर, डाबला ग्रामवासियों पर दर्ज झूठे मुकदमों को सीबी सीईडी से जांच कर दोषियों को शक्त सजा दी जाये.

राजस्थान में भूमि अधिग्रहण के विरोध में पहुंचे पूर्व-सेनाध्यक्ष वी.के.सिंह

21 अक्टूबर को राजस्थान के नवलगढ़ में चल रहे सीमेंट प्लांट-विरोधी आंदोलन को समर्थन देने दिल्ली से पूर्व थलसेनाध्यक्ष श्री वी.के. सिंह नवलगढ़ पहुंचे. उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तथा नवलगढ़ के गाँवों में आंदोलनरत किसानों से मिले. हरकेश बुगालिया की रिपोर्ट;

नवलगढ़ में पिछले 787 दिनों से किसान भूमि अधिग्रहण के विरोध में धरने पर बैठे है। यह किसान अपनी उपजाऊ भूमि किसी भी कीमत पर सीमेंट कंपनियों को देने के लिए तैयार नहीं हैं। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने किसानों से अपने बेटों-पोतों के लिए जमीन बचाने का आह्वान करते हुए कहा कि शेखावाटी शहीदों की धरती है। यहां जवान जब सीमा की रक्षा कर सकता है तो अपनी जमीन की भी रक्षा करना जानता है। उन्होंने किसानों को संकल्प दिलाया कि वे जान दे देंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे।

उन्होंने कहा कि देश का हर तबका विकास चाहता है, चाहे वो शहर में रहे या गांव में, लेकिन विकास संयोजित और संतुलित होना चाहिए। किसानों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किए जाने वाले विकास से कई घर तबाह होंगे और आने वाले समय में देश के सामने खाद्यान्न का संकट पैदा हो जाएगा। किसानों की उपजाऊ जमीन पर सीमेंट फैक्ट्रियां लगने से हर वर्ग प्रभावित होगा। पानी का अत्यधिक दोहन होगा और पर्यावरण भी प्रभावित होगा। उन्होंने किसानों को संकल्प दिलाया कि वे जान दे देंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। किसानों को अपनी ताकत पहचानने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि देश के पूंजीपति भी किसान के खेत में पैदा होने वाले अनाज को ही खाकर जिंदा रहते हैं। ऐसे में किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का डट कर मुकाबला करना होगा, तभी जीत मिलेगी।

सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने कहा कि किसान सरकार बनाते हैं पूंजीपति नहीं। इसलिए ऐसी सरकारों से डरने की जरूरत नहीं है। इस आंदोलन के कारण ही किसानों की जमीन बची हुई है।

सभा को मेजर जनरल एनबी सिंह, उत्तरप्रदेश में भूमि अधिग्रहण विरोधी किसानों के आंदोलन के नेता राघवेंद्रसिंह, अरूण सिंह के अलावा जयरामसिंह डाबला, हरकेश बुगालिया, सांवरमल यादव, संजय बासोतिया सहित कई किसान नेताओं ने संबोधित किया। सभा में सुमेरसिंह सुरजनपुरा, बालूराम झाझडिया, संतोष देवी, संजेश शर्मा, मदनपुरी गोस्वामी, रामप्रसाद जांगिड़, एडवोकेट सुभाष आर्य, बीरबलसिंह, नारायण सिंह, सूबेदार मदनसिंह भोजनगर, सोहनसिंह बारवा सहित कई किसान नेता मौजूद थे।

ज्ञात हो कि झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ और सीकर जिले के बेरी क्षेत्र में सीमेंट कंपनियों के लिए 18 गांवों में बसी करीब 50 हजार लोगों की आबादी को उजाड़ने की तैयारी चल रही है। आदित्य बिड़ला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड अल्ट्राटेक लिमिटेड व आईसीएल सीमेंट लिमिटेड, बांगड़ ग्रुप की श्री सीमेंट लिमिटेड जैसी नामी कंपनियों को सरकार ने 72 हजार बीघा बेशकीमती जमीन हड़पने की हरी झंडी दे दी है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसान पिछले दो सालों से संघर्षरत है.

<u>हिमाचल प्रदेश</u>

माँ रेणुका जी बांध से प्रभावित व उजड़ने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करने के सन्दर्भ में आजीविका बचाओ संघर्ष समिति की ओर से

अपील

महोदय जी,

रेणुका बांध परियोजना गिरी नदी पर 148 मीटर ऊँचा 26 किमी लंबी झील लगभग 2100 हैक्टेयर जमीन लगभग 1142 परिवार तथा 70 पंचायतों से भी अधिक लोग प्रभावित होंगे, जिसमें ददाहू से खड़कोली के बीच की दूरी 12 किमी बढ़ जाएगी। जिसके कारण बस रूट प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्रभावित लोगों को देने पड़ेंगे, इसके अलावा उपभोक्ता वाली वस्तुएं तथा यातायात के साधन का खर्चा अलग से पड़ेगा। पर्यावरण का इतना बड़ा नुकसान होगा जिसमें लगभग 15 लाख से भी अधिक पेड़ कटेंगे, इसके अलावा वातावरण में बदलाव, भूमि का धसना, धुंध छा जाना, अकस्मात् बादल फटने जेसी घटनाएं, भूकंपीय दृष्टि से उत्तरी भारत पहले ही वैज्ञानिक दृष्टि से असंवेदनशील घोषित है व मिथ्ेान जैसी गैसें खड़े पानी से निकलेंगी, नदी के बहाव बन्द कोने से रेत, बजरी नहीं मिलेगी।

2100 हैक्टेयर में रहने वाले जंगली जानवर पीछे बचे किसानों की जमीनों का क्या हाल करेंगे? उत्तरी भारत के आस्था का प्रतीक मां रेणुका झील क्या सुरक्षित रह पाएगी। मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश रेणुका जी आकर यहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने पर्यावरण दृष्टि से इस बांध का विरोध किया है। यदि यह बांध बना तो क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। केवल 40 मेगावाट बिजली के लिए इतना बड़ा विस्थापन तर्क संगत नहीं है।

राज्य के मुख्य सचिव सुद्वत्तो राय ने प्रेस में कहा कि राजधानी दिल्ली में पीने के पानी की जरूरत को पूरा किया जाना है यदि दिल्ली को पानी चाहिए तो इस बांध का पूरापैकेज हिमाचल सरकार को देना होगा ताकि हिमाचल का प्रर्यावरण व भाखड़ा, पाँग बांध जैसे विस्थापितों की भांति रेणुका बांध के लोगों का यह हाल नहीं होने दूंगा। आजीविका बचाओ समिति सुद्वत्तो राय जी का समर्थन करती है और बांध का विरोध करती है। इसके बाद भी यदि बांध बनता है तो हमारी निम्नलिखित मांगें मानी जायें.

- जमीन के रेट क्रमशः सिंचित 30 लाख रु. प्रति बीघा असिंचित 25 लाख रु. प्रति बीघा, बंजर जदीद, बंजर कदीम 20 लाख, न काबिल जंगल झाड़ी 15 लाख रु. बीघा दिया जाए। हिमाचल प्रदेशे के अन्य बांधों में रेट दिया गया तो हमारे साथ भेदभाव क्यों।
- जिनकी हल चलती जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है। पीछे 5 बीघा जंगल झाड़ी बचती है व उसे भूमिहीन तथा घर भी बच जाते हैं, उन्हें घर रहित माना जाना चाहिए। आर. एण्ड आर. को वर्तमान स्थति के अनुसार बदला जाये।
- जब तक हमारी जमीन में पानी नहीं आता हमारा उसमें कास्त करने का अधिकार बरकरार रहना चाहिए ताकि हमारी आजीविका चलती रहे।
- प्रति परिवार को 2 हैक्टेयर जमीन दी जाए जिसमें एक हैक्टेयर हल चलती सिंचित जमीन व एक हैक्टेयर धसनी, जंगल झाड़ी वाली हो।
- पंचायत परिवार रजिस्टर को आधार मान कर विस्थापितों का पुनर्वास किया जाए।
- प्रति परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।
- रेणुका बांध विस्थापितों को 5 मेगावाट बिजली की हिस्सेदारी उनको उनकी जमीन के आधार पर सदा के लिए मिलती रहे।

- विस्थापितों का पुनर्स्थापन जिस स्थिति में रह रहे हैं उससे बेहतर स्थिति में किया जाए। देश दुनिया में हर क्षेत्र में मूल्य बढ़ रहे हैं। परन्तु एच.पी.पी.सी.एलद्द लोगों की जमीनों के मूल्य व पुनर्स्थापन के पैकेज को क्यों नहीं बढ़ाता हैं
- पेड़ों की गिनतीसही ढंग से की जाए फलदार पेड़ों के रेट 2000.2001 की दर से दिए जा रहे हैं। इसे नए 2012 की दर से जोड़ा जाए। पेड़ों की गिनती सेंटीमीटर से ऊपर के पौधों की जा रही है। छोटे पौधों की गिनती भी की जाए, बाकी पेड़ों के रेट कम क्यों किए जा रहे हैं। इसे बढ़ा कर दें।
- के.एन.डी.सीद्द मर्ग की दूरी कम करने के लिए मोहतू से बस योग्य पूल का आश्वासन दिया था। अब उस पुल को बस योग्य बनाया जाए, नहीं तो बांध की उंचाड्ड कम की जाये जिससे 70 पंचायतें रोड़ प्रभावित होने से भी बचेंगी जिससे रोड़ भी बचेगा और लोगों की हजारों बीघा जमीन भी बचेगी।
- माँ रेणुका जी झील मंदिरों, आश्रमों व स्थान पर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी आस्थाओं व प्राचीन धार्मिक मेले हमेशा की तरह चलते रहें।
- वन अधिनियम 2006 के तहत हमारे वनो पर अधिकार बरकरार रहने चाहिए। जैसे बांध से उठाऊ सिंचाड्ड व पेयजल योजना के तहत संगडाह, सैन.धार, धाटी.धार व प्रभावित पंचायतों को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। टी.डीद्द का अधिकार रेत.बजरी, मछली पकड़ना, उपजाऊ लकड़ा आदि।
- डैम के निले क्षेत्रों के लोगों को पूर्ण सुरक्षा के अधिकार दिए जाने चाहिए।
- हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है हम अपने घर वार को छोड़ कर कहां जाना है, उसका कोई पता नहीं। सामाजिक व पर्यावरण आंकलन भी नहीं हुआ है। एचपीपीसीएल हर कार्य तुक्के में चला रही है। इस प्रकार का अन्याय लोगों पर न हो।
- जिन लोगों की जमीन मौके पर सिंचित है पटवार रजिस्टर रिकॉड्ड में असिंचित है या सिंचित को बंजर, ऊबड़ आदि रिकॉर्ड मे लिखा है लोगों के रिकॉर्ड ठीक किए जायें।
- लोगों पर धारा 17.4 लागाई गई जिसके कारण लोगों को नहीं सुना जा रहा है। लोगों के सेक्शन 9 की करवाई के समय जो लोगों की स्थिति है उस समय का लेखा.जोखा पंचायत व पटवार रिकॉर्ड के अनुसार मान्य होना चाहिए।
- एचपीपीसीएल इस बांध में अंगेजों वाली नीति अपना रही है,लोगों में फूट डालो व राज करो यह नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की घटना समिति के कार्यकर्ता/विस्थापितों के साथ होगी उसका उत्तरदायी एचपीपीसीएल व इनसे जुड़े भू.माफिया होंगे।
- बांध का कार्य जबतक शुरू नहीं होना चाहिए जब तक लोगों की मांगों का समाधान नहीं होता।

अतः हमारा अनुरोध भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, संस्थाओं.संगठनों व समाज सेवी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस स्थिति में आप हमारा सहयोग करें, ताकि हम अपनी इस अत्याचार से हम अपनी आजीविका बचा सकें। यह बांध राष्ट्रहित के नाम पर बनाया जा रहा है। जल, जंगल, जमीन, घर उजड़ने वाले लोग भी इसी रष्ट्र के हैं। भारतीय सभ्यता के अनुसार राष्ट्रहित में उजड़ने वाले लोगों को तो मांगों का मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए था। राष्ट्रहित में जो लोग उजड़ रहे हैं उनका वर्तमान तरीके से सामाजिक आंकलन कर पुनर्स्थापन करना ही राष्ट्रहित है। हम भी इसी स्वतन्त्र देश भारत के निवासी हैं। यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है कृपया हमारा साथ दें।

जय हिन्द !

धन्यवाद

अध्यक्ष/सचिव

आजीविका बचाओ संघर्ष समिति

माँ रेणुका जी बांध मोहतू, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)

ओडिशा

नियमगिरी में कारपोरेट और राज्य सत्ता को कड़ी टक्कर देते

नियमगिरी का जुझारू जन-आंदोलन अब निर्णायक स्थिति में पहुँच गया है. आगामी 11 जनवरी को ग्रीन बेंच में खनन की स्वीकृति को लेकर सुनवाई होनी है जिसके विरोध में आंदोलन कमर कस चुका है. ज्ञात हो कि 13 अक्टूबर 2012 से वेदान्त की लाँजीगढ़-स्थित रिफाइनरी बंद पडी है, यह आंदोलन के दबाव में ही हो पाया है.
ओडिसा के कालाहाण्डी जिले का लाँजीगढ़ ब्लाक भारतीय संविधान के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त अनुसूचित क्षेत्रों में आता है। इसी स्थान पर वेदांता कंपनी ने अपना अलमुनाई प्लांट लगा रखा है और इसी क्षेत्र में स्थित नियामगिरि पहाड़ के बेशकीमती बाक्साइट पर उसकी ललचाई निगाहें लगी हुई हैं। स्थानीय ग्रामवासी, आदिवासी अपनी जमीन, जंगल, नदी, झरने पहाड़ बचाने की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं. पेश है नियमगिरी आंदोलन के अगुआ लिंगराज आजाद की यह रिपोर्ट:

नियमगिरि के आदिवासी वेदांता के विरोध में कालाहांडी जिलाधिकारी के कार्यालय पर 10 जनवरी 2013 को प्रदर्शन करेंगे

गुजरी 6 दिसम्बर को लाँजीगढ़ ब्लाक कार्यालय पर वेदांता कंपनी, उड़ीसा सरकार एवं केंद्र सरकार के विरोध में लगभग 20 हजार आदिवासियों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है.
ज्ञात रहे कि वेदांता कंपनी की बाक्साइट माइनिंग पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2010 में रोक लगा दी गई थी.
परंतु उड़ीसा राज्य सरकार ने वेदांता कंपनी की बाक्साइट माइनिंग पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लगायी गयी रोक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। राज्य सरकार का कहना था कि पर्यावरण मंत्रालय का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवमानना है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि यदि राज्य सरकार केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना मानती है तो अवमानना की याचिका दायर कर सकती है। राज्य सरकार द्वरा याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की ग्रीन बैच में 23 नवम्बर से 26 नवम्बर 2012 को सुनवाई की तारीख घोषित होने पर नियामगिरि सुरक्षा समिति, सचेतन नागरिक मंच, लैण्ड लूजर्स एसोसिएशन जैसे स्थानीय संगठनों के साथ ही साथ समाजवादी जन-परिषद के कार्यकर्ता-नेताअओ ने इस सुनवाई के विरोध में नियामगिरि के क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया.

- 22 नवम्बर 2012 को कालाहांडी जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है.
- 23 नवम्बर 2012 को लांजीगढ़ एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है.
- 24 नवम्बर 2012 को कल्याणसिंहपुर (रायगडा) एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है.
- 25 नवम्बर 2012 को बिसनकटक (रायगडा) एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है.
- 27 नवम्बर 2012 को मुनिगुडा (रायगडा) एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है.

इस बीच याचिका पर ग्रीन बैच ने सुनवाई की तारीख को आगे बढा दिया. सुनवाई की तारीख 3 दिसम्बर से 5 दिसम्बर घोषित की गयी. बाबा साहब आंबेडकर निर्वाण दिवस 6 दिसम्बर को लांजीगढ़ में वेदांता कंपनी के विरोध में प्रदर्शन कर फिर से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया. जिसमे मांग की गई कि-

- वेदांता कंपनी के साथ समझोता रद्द किया जाय.
- वेदांता कंपनी की बाक्साइट माइनिंग रद्द की जाय.
- आंदोलनकारियों पर फर्जी केस वापस लिये जाय.
- अब तक वेदांता कंपनी से विस्थापितों का उचित पुनर्वास किया जाय.
- शिक्षा, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाय.

याचिका पर ग्रीन बेंच में सुनवाई आगमी 11 जनवरी 2013 को होगी. इसके विरोध में कालाहांडी जिलाधिकारी कार्यालय पर 10 जनवरी 2013 को प्रदर्शन एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जायेगा.

आदिवासी क्षेत्रों को मिले विशेष संवैधानिक संरक्षणों को धता बताने की घटनायें यहां पर आम चलन में हैं। संवैधानिक प्रावधानों तथा पेसा कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, बिना ग्राम सभा की सहमति, प्रस्ताव यहां तक कि बिना बताये ही इस इलाके में वेदांत कंपनी सरकारी अमले की मदद से आदिवासियों की जमीनें तथा प्राकृतिक संसाधनों को लूटने में लगी है। इस लूट का विरोध करने वाले राज्य तथा कारपोरेट हिंसा का शिकार बनाये जाते हैं, जेल में निरूद्ध किये जाते हैं तथा पुलिस थाने में कई-कई दिनों तक अनायास लाक अप में बंद रखे जाते हैं।

भारत के 130 ज़िलों में जारी है ज़मीन बचाने की जंग

हाल की एक बीबीसी रपट ने 'राइट्स एंड रिसोर्सेज इनीशिएटिव' और 'सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट' के हवाले से यह चेतावनी दी है कि आने वाले 15 सालों में बड़ी परियोजनाओं के चलते भारत में संघर्ष और अशांति की आशंका है. नियमगिरि, कूडनकुलम, पोस्को जैसी परियोजनाओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन मुख्या धारा की मीडिया में अपनी दस्तक दे चुके हैं, लेकिन देश के कुल 130 जिलों में जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए ऐसे ही आंदोलन चल रहे हैं, हमारा व्यापक समाज और राजनीतिक तंत्र जिनकी उपेक्षा कर रहा है. अगर आम लोगों की आकांक्षाओं और राष्ट्रीय नीतितों के बीच संवाद स्थापित न किया गया और इन मुद्दों का लोकतांत्रिक तरीके से हल न निकाला गया तो जल्दी ही विस्फोटक स्थिति सामने आ सकती है. पेश है बीबीसी की रिपोर्ट:

ज़मीन और जंगल के अधिकार पर होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से पहले प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत के जंगल और आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ रहे हिंसक संघर्ष के लिए देश की सरकारी संस्थाए और निवेशक दोषी है.

'राइट्स एंड रिसोर्सेज इनीशिएटिव' और 'सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट' के मुताबिक आने वाले15 सालों में बड़ी परियोजनाओं के चलते भारत में संघर्ष और अशांति की आशंका है.

रिपोर्ट के मुताबिक गरीब ग्रामीण भारत के संसाधनों का दोहन लगातार जारी है और इसकी वजह से पूरे भारत के लगभग सभी राज्यों में संघर्ष की स्तिथियां पैदा हो रही हैं.

विश्व के शीर्ष विशेषज्ञों का मानना है कि भारत भी चीन, दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब जैसे देशो की कतार में शामिल हो गया है, जहाँ 'ज़मीन का संकट' है. और ये देश विकासशील देशों की मुख्य आजीविका के स्रोत खेती की ज़मीन छीनने लगे हैं.

छिन रही ज़मीन

"प्रमुख उदाहरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन वनवासी अधिनियम 2006 है, जिसे जंगल और अवैध अधिग्रहणों से निवासी जनजातीय लोगों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका नियमित तौर पर उल्लंघन हो रहा है. इसी तरह 1996 का पंचायत अधिनियम है, जो ग्राम सभा को भूमि प्रबंधन और उसकी रक्षा करने की शक्तियां देता है. लेकिन इसकी भी अनदेखी हो रही हैं "

गोपालकृष्णन

भारत में लगातार हो रहे भूमि अधिग्रहण पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 के बाद से 130 जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

इन परियोजनाओं के लिए एक करोड़ दस लाख हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण होगा और इसका असर करोड़ों लोगों की आजीविका और जीवन पर पड़ेगा.

संस्था 'कैंपेन फॉर सरवाइवल ऐंड डिग्निटी' से जुड़े शोधकर्ता शंकर गोपालकृष्णन का कहना है,"सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि का बेशर्मी से हो रहा अधिग्रहण भारत के बड़े हिस्से में एक ज्वलंत मुद्दा है,"

भारतीय क़ानून

गोपालकृष्णन और उनके सहयोगियों का कहना है कि भारतीय कानून में संघर्ष के मूल कारणों का समाधान पहले से ही मौजूद है.

उनका कहना है कि प्रमुख उदाहरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 है, जिसे जंगल और अवैध अधिग्रहणों से निवासी जनजातीय लोगों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका नियमित तौर पर उल्लंघन हो रहा है.

इसी तरह 1996 का पंचायत अधिनियम (पेसा अधिनियम) है, जो ग्राम सभा को भूमि प्रबंधन और उसकी रक्षा करने की शक्तियां देता है. लेकिन इसकी भी अनदेखी हो रही हैं और देश भर में इसका उल्लंघन होता है.

पारंपरिक वन समुदायों के भूमि अधिकार के विशेषज्ञ 'राइटस एंड रिसोर्सेज इनीशिएटिव' के कार्यकारी निदेशक अरविंद खरे कहते हैं."अभी हालत ये है कि सरकार का एक हिस्सा ही किसी अन्य या इन अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है. क़ानून तो मौजूद है पर कानून का उल्लंघन करने के लिए कोई जुर्माना है क्या?"

खेती के लिए विदेश में ज़मीन

एक अंतर्राष्ट्रीय शोध का हवाला देते हुए अरविंद खरे कहते हैं कि भारत सरकार और भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों ने अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में खेती के मकसद से भूमि का अधिग्रहण किया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही में भूमि अधिग्रहण, अदालती मामलों और समाचार रिपोर्टों की जांच से पता चलता है कि भारत में भूमि हड़पे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में बढ़ोत्तरी देश में विकास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में उभर रहा है.

समाचार, रिपोर्टों और अदालत में मुकदमों के आधार पर पता चलता है कि देश हर राज्य और क्षेत्र में आदिवासी इन ज़मीन संबंधी विवादों में उलझे है, और तमाम विवाद अभी भी अनसुलझे हैं.

भारत के नक्शे में 2011 और 2012 के दौरान 602 ज़िलों में से 130 में इस तरह के हिंसक संघर्ष की पहचान की गई है.

संघर्ष संवाद देश में चल रहे आन्दोलनों की सूचनाएं, उनके लिए उपयोगी जानकारी एवं विश्लेषण मुहैया कराने वाली एक लोकप्रिय पत्रिका साबित हुई है। जून माह से इसके वेब-संस्करण (sangharshsamvad.org) की शुरूआत की गयी है जिसमें आप सबका स्वागत है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने या अपने इलाके में चल रहे जनसंघर्षों की रिपोर्ट संघर्ष संवाद से साझा करें ताकि दूसरे आन्दोलनों के साथियों को भी आपके आंदोलन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहे। एक दूसरे के संघर्षों से सीखना और संवाद कायम करना आज के दौर में जनांदोलनों को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है।

आप अपने जन संघर्षों के बारे में जानकारी sangharshsamvad@gmail.com पर ईमेल द्वारा दे सकते हैं अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

संघर्ष संवाद

ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016

फोन/फैक्सः 011-26968121/26858940

ईमेलः sangharshsamvad@gmail.com